कृषि चौपाल

वर्ष-12, अंक-11-12, फरवरी-मार्च 2020 (संयुक्तांक), रुपए 20

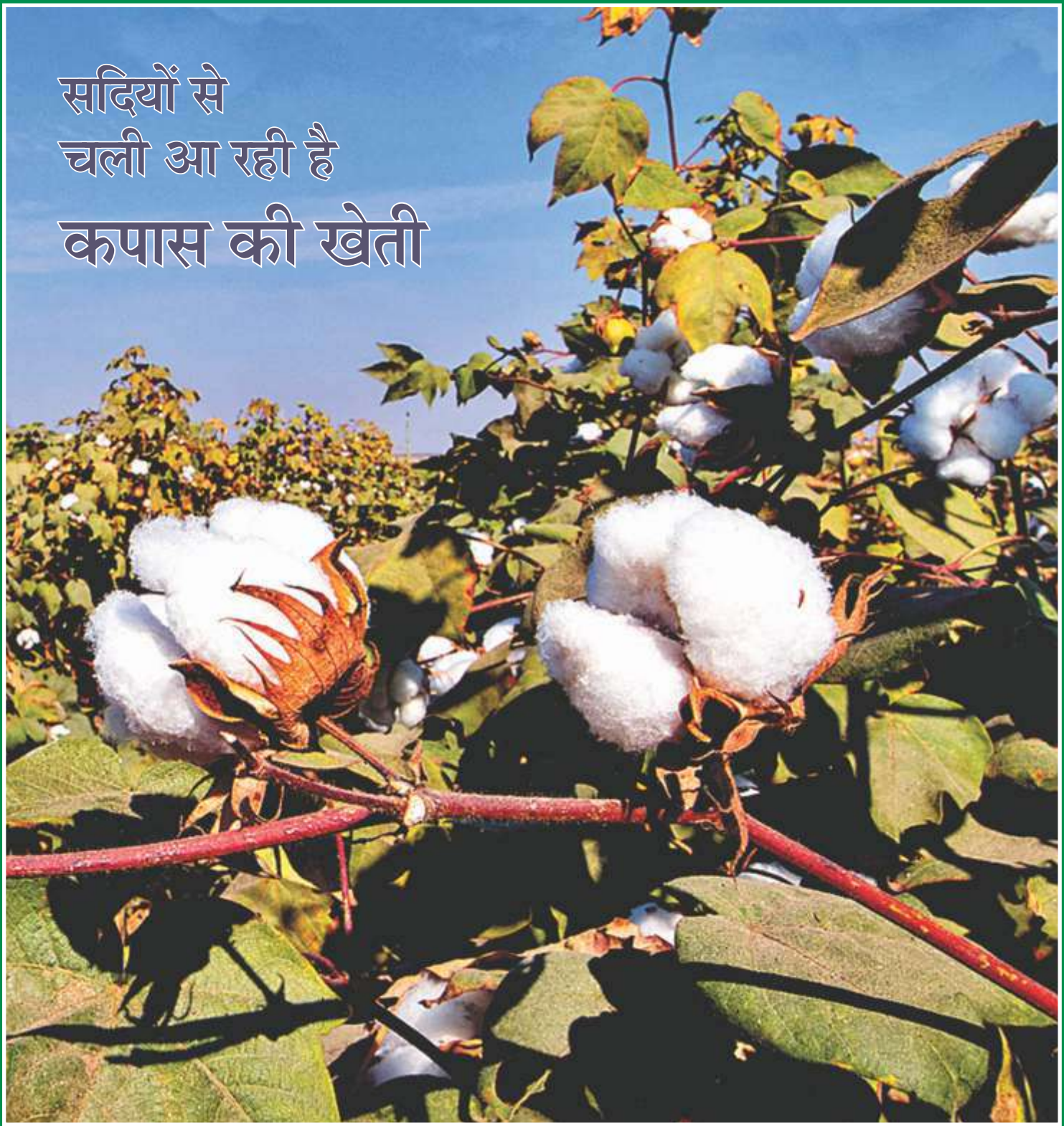

सदियों से चली आ रही है कपास की खेती

प्रकृति का पोषण

एक हरित भविष्य की रचना के लिए

पीएफसी – नवीकरणीय ऊर्जा के सशक्त विकास को प्रतिबद्ध

जलवायु परिवर्तन पर इसकी राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास को प्राथमिक रूप से प्रोत्साहित किया है। पीएफसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अगले पाँच वर्षों के लिए विशेष ब्याज दर पर ₹15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। क्योंकि हर हाल में एक स्वच्छ और हरित भविष्य की रचना ही पीएफसी का ध्येय है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक नवरत्न पीएसयू)
पंजीकृत कार्यालय: "ऊर्जानिधि", 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-2345 6000, फैक्स: 2341 2545, वेबसाइट: www.pfcindia.com

naa

पीएफसी-S4 इंसी कैपिटल गेन टैक्स छूट बांड जारी करने के लिए एक पात्र कंपनी

/pfcindia पर हमें फॉलो करें

कृषि चौपाल
कृषि एवं ग्रामीण सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध
वर्ष: 12 ❖ अंक: 11-12
फरवरी-मार्च 2020 (संयुक्तांक)

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादकीय सहयोग
नीरज जोशी, ताज रावत, गणेश चन्द्र पांडे, करम चंद गांधी, मुकेश कुमार केवट, परमजीत सिंह साहनी, हरविंदर सिंह कोहली, शशि मोहन रावत

प्रसार प्रबंधक
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
कृषि चौपाल
एस-431, प्रथम तल,
स्कूल ब्लॉक शकरपुर, नियर फ्रैंड्स पब्लिक स्कूल, दिल्ली-110092

Phone: +91-9354840377
WhatsApp No.: 9910406059
Email: krishichaupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93, सैक्टर-7, नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियां हैं। संपादकीय मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। 'कृषि चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर अमल करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों और परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

● **उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।**

किसान और सरकार का सीधा रिश्ता होना चाहिए

सरकार की यह घोषणा सदा स्वागत योग्य कही जाएगी कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। किसान हालांकि हमेशा इस देश में राजनीति का आधार रहे हैं। परंतु भारत में औद्योगिकीकरण जैसे-जैसे आगे बढ़ा किसान हाशिए पर जाते रहे। केवल चुनावों के वक्त ही किसानों की याद आती है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दावा किया है कि मौजूदा समय में किसानों की मासिक औसत आमदनी 8,167 रुपये हो गयी है। एनएसएसओ के प्रतिवेदन के मुताबिक साल 2013-14 में किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये थी। इस हिसाब से चलें तो यह 2022 तक 12,852 रुपये मासिक होती है और सालाना 1,54,224 रुपये।

इसी सिलसिले में मोदी सरकार ने साल 2016 में एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन कर उसे किसानों की आय को बढ़ाने के उपाय सुझाने को कहा था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर 2018 में सौंपी। समिति ने दावा किया कि किसानों की आय बढ़ी है।

वर्तमान वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाते हुए 2 लाख 83 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज के 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का बजट भी शामिल है। साथ ही इसमें देश के 14.5 करोड़ किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि भी सम्मिलित है। यदि हम किसानों तथा कृषि के लिए तय किए गये बजट को कुल किसान परिवारों में वितरित करें तो प्रति परिवार लगभग 19,517 रुपये पहुंचते हैं। यानी सरकार द्वारा किसान के एक परिवार के कल्याण के लिए एक साल में 19,517 रुपये दिये गये हैं। यह रकम किसान को सीधे नहीं दी जाती है, बल्कि सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ गूल-नहर निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आदि पर खर्च की जानी है। जिन योजनाओं पर किसान के नाम पर तय किया गया बजट खर्च होगा, उन योजनाओं को विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा ठेकेदारों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। स्पष्ट है कि जो भी कार्य किसान कल्याण के लिए होंगे, वे इन्हीं बिचौलियों के माध्यम से होंगे।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि वर्ष 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुना कैसे कर पाएगी? वास्तविकता यह है कि भारत में वर्तमान में लगभग 14.5 करोड़ परिवार कृषि पर आधारित हैं। यह आंकड़ा नाबार्ड जैसी आधिकारिक संस्था का है। इसी संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 52.5 प्रतिशत किसान कर्ज में दबे हुए हैं।

दरअसल, किसानी और किसान का किस्सा किस किस्म का है, यह समझने के लिए सरकारों को आंकड़ों से ज्यादा वस्तुस्थिति पर भरोसा करना होगा। किसान को कर्जमाफी से फायदा नहीं होना है, बल्कि किसान को कर्ज से मुक्त करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं, इससे फायदा हो सकता है। जैसे कि सरकार को उत्पादन के सभी संसाधन सही समय पर किसान के खेत तक मुफ्त पहुंचाने होंगे। उपज को खेत से सीधा खरीदना भी होगा। यानी कि जमीन एवं श्रम किसान का होगा और शोध एवं संसाधन सरकार के होंगे, तभी कुछ बात बन सकती है। वरना किसान बिचौलियों और सूदखोरों के हाथ लुटते-पिटते रहेंगे। ऐसे में हर साल किसान कर्ज में डूबते रहेंगे। जब-तब आत्महत्या की घटनाएं भी होती रहेंगी।

यदि वास्तव में किसान का कल्याण करना है तो सरकार को उसे तमाम चिंताओं से बाहर निकाल कर सिर्फ एक ही काम सौंपना चाहिए कि वह खूब उत्पादन करे। बाकी आगे-पीछे का सारा काम सरकार का हो। उपज के खेत से उठते ही किसान को उसका परिश्रम मिल जाना चाहिए। बीज-खाद-दवा और उपज को बेचने की चिंता सरकार की होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि किसान और सरकार के बीच सीधा रिश्ता होना चाहिए।

(महेन्द्र सिंह बोरा)

आफत बनकर आई बारिश

गेहूं और सरसों को जबरदस्त नुकसान

बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आयी। इससे रबी फसल की पैदावार प्रभावित होने जा रही है। गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बारिश से रोहतक, सीकर, अलीगढ़, आगरा, शामली और लखनऊ में सबसे अधिक नुकसान का अनुमान है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से गेहूं की पैदावार में 10 फीसद नुकसान की आशंका है। कृषि मंत्रालय ने इस साल गेहूं की पैदावार रिकार्ड 10.62 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसमें गिरावट हो सकती है। पिछले साल गेहूं का उत्पादन 10.36 करोड़ टन रहा था।

मार्च में हुई बेमौसम बारिश से गन्ना, चना और सरसों को भी नुकसान की आशंका जाहिर की गयी है। खड़ी फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। रबी की बुवाई वाली गन्ने की फसल जमीन के अंदर होने से बारिश के कारण अधिक प्रभावित हो रही है। खेतों में बारिश का पानी भर जाने से खड़ी फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बारिश से प्रभावित हुई है। इस साल पहले ही पिछले साल के मुकाबले गन्ने के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। इस साल गन्ने का उत्पादन 35.3 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह उत्पादन 40.54 करोड़ टन का था।

सरसों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। मार्च प्रथम पखवाड़े के आखिर में हुई बारिश से सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सरसों अभी खेतों में खड़ी है तो कई जगहों पर कटाई के बाद खेतों में पड़ी है। दोनों ही लिहाज से सरसों को नुकसान है। अनुमान के मुताबिक सरसों की फसल को 30 फीसद तक का नुकसान हो सकता है। कृषि मंत्रालय पहले ही सरसों के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 1.54 फीसद की गिरावट का अनुमान लगा चुका है। इस साल मंत्रालय ने 91 लाख टन सरसों की पैदावार का अनुमान लगाया है।

बेमौसम बारिश से चने को भी नुकसान हुआ है। इस साल चने का उत्पादन 1.12 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया था जो कि पिछले साल के मुकाबले 12. 80 फीसद अधिक है। लेकिन अब बारिश के कारण अनुमानित आंकड़ों में कमी आ सकती है।

पश्चिम बंगाल में बारिश की वजह से आलू की हार्वेस्टिंग प्रभावित होने से आलू के उत्पादन पर भी असर दिख सकता है।

आम के निर्यात को चौपट कर गया कोरोना

कोरोना वायरस ने आम का निर्यात बाधित कर दिया है, जिससे खाड़ी देश, यूरोपीय संघ के देशों और अमेरिका के लिए आम का निर्यात शुरू नहीं हो पा रहा है। इन देशों में भारतीय आम की भारी मांग रहती है। चीन में कोरोना के संक्रमण की शुरुआत के बाद वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नई संभावनाएं बन रही थीं। ऐसे में वायरस के प्रकोप के कारण भारतीय कृषि उत्पादों को भी विलायत भेज पाना कठिन हो गया है। कोरोना के चलते कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य पूरा करना भी अब आसान नहीं रहेगा। चालू आम सीजन में निर्यात की राह में कोरोना वायरस बाधा बनकर खड़ा हो गया है।

अल्फांसो आम के कुल उत्पादन का 40 फीसद विदेश जाता है, जो महाराष्ट्र व गुजरात के किसानों की आमदनी का बड़ा साधन है। इस बार महाराष्ट्र व गुजरात से आम का निर्यात बाधित हो गया है। आम की खेती पर किसानों ने बड़ा निवेश कर रखा है, जो निर्यात न होने की दशा में बड़े घाटे का कारण बन सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में आम का निर्यात अपने चरम पर होता है, लेकिन कोरोना के प्रकोप की वजह से इस बार ज्यादातर देशों ने अपने यहां के समुद्री रास्तों और थल सीमाओं को बंद कर दिया है। इस विकट स्थिति से आम के किसानों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं।

पौधों को फफूंद और कीड़ों से बचाता है 'जैस्मोनिक एसिड'

आमतौर पर फसलों को रोगों से बचाने के लिए किसान कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये कीटनाशक कैसे काम करते हैं इसके पीछे के विज्ञान को शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नए अध्ययन में समझाया है।

शोधकर्ताओं ने पौधों में एक संचार नेटवर्क का पता लगाया है, जिसके हार्मोन्स कीटनाशकों पर प्रतिक्रिया देते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि नई खोज ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा दे सकती है जो कीटों के हमले से आसानी से बच सकती हैं। जर्नल नेचर प्लांट्स में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि जैस्मोनिक एसिड नामक हार्मोन विशेष रूप से फफूंद और कीड़ों से पौधे की रक्षा करता है।

अमेरिका के हॉवर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक, जोसेफ ईकर ने कहा, 'यह शोध हमें इस बात की जानकारी देता है कि जैस्मोनिक एसिड कितने अलग-अलग स्तरों पर काम करता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि पर्यावरणीय और विकास संबंधी जानकारियां कैसे परिष्कृत होती हैं और कैसे पौधों का समुचित विकास होता है।'

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 'एराबिडोपिसेज थालियाना' का प्रयोग किया। यह सरसों की प्रजाति का एक छोटा फूल है। अध्ययन में इसके जीनोम के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्षो को भोजन के लिए उगाये जाने वाले अन्य पौधों पर भी लागू किया जा सकता है। हावर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट से इस अध्ययन के सह-लेखक मार्क जेंडर ने कहा, 'हम यह समझना चाहते हैं कि पौधों द्वारा जैस्मोनिक एसिड छोड़ने के बाद क्या होता है। इसके कौन से जीन सक्रिय और निष्क्रिय हैं। साथ ही वे कौन से कारक हैं जो इसकी कोशिकीय प्रक्रियाओं के नियंत्रण करते हैं।

जैव कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्र में जैविक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3 बी) के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण के दौरान आवेदक को रासायनिक कीटनाशकों के विपरीत जैविक कीटनाशकों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति होगी।

भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) और पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस) की जैविक कृषि योजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ टिकाऊ कृषि उत्पादन की दिशा में काम कर रही है। इनके माध्यम से जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत में भी सुधार होगा।

परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से किसानों को 31 हजार रुपये (62 प्रतिशत) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सहायता जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, वर्मीकम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क, उत्पादन/खरीद, फसल बाद प्रबंधन आदि के लिए दी जा रही है।

एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत जैविक सामग्रियों, बीज/पौध रोपण सामग्री के वास्ते 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत भारत सरकार सालाना 200 टन क्षमता वाली जैविक उर्वरक इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों को 160 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के आधार पर 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराकर जैविक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। इसी प्रकार व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों को पूंजी निवेश के रूप में 40 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह सहायता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

पांच वर्षों में कृषि बजट में पांच गुना वृद्धि हुई: कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला-2020 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

मंत्री ने कहा कि 2013-14 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों की औसत मासिक आय 6,426 रुपये थी, जबकि वर्तमान में 2016-17 के लिए उपलब्ध अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार यह 8,167 रुपये है। श्री चौधरी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले, कृषि का बजट 25,000-30,000 करोड़ रुपये के बीच था, लेकिन अगले वित्त वर्ष में कृषि के लिए बजट 1,50,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि जो पहले किसानों को पांच साल में दिया जा रहा था, हमारी सरकार ने एक साल के बजट में उससे कहीं ज्यादा किया है।

किसान मेले के आयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की सराहना करते हुए नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने संतोष व्यक्त किया कि तीन-दिवसीय मेले के दौरान बीजों की बिक्री 45 लाख रुपये से अधिक हुई। उन्होंने कहा कि भारत अपनी उपज का 6-7 प्रतिशत निर्यात कर रहा है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल कृषि विज्ञान मेले में 80,000 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 'मेरा गांव, मेरा गौरव' योजना के तहत 13,500 गांवों को कवर किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक हर महीने इन गांवों में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं और देखते हैं कि वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

सरकार ने किसानों के हित में 15 मार्च से प्याज के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने 15 मार्च 2020 से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में यह अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज, जो मौजूदा नीति के अनुसार 'निषिद्ध' श्रेणी में है, संशोधित नीति में 'मुक्त' श्रेणी में होगा। अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि 15 मार्च 2020 से सभी प्रकार के प्याज के निर्यात को लेटर ऑफ क्रेडिट और न्यूनतम निर्यात मूल्य की किसी शर्त से मुक्त कर दिया गया है।

आगामी टिड्डी आक्रमण व उसके नियंत्रण हेतु उच्च स्तरीय बैठक

कृषि एवं किसान कल्याण के सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा राज्यों के उच्च स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान से प्रमुख सचिव कृषि, कृषि आयुक्त व संयुक्त निदेशक (पादप संरक्षण), गुजरात से अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजाब से संयुक्त निदेशक (टिड्डी नियंत्रण) व हरियाणा से संयुक्त निदेशक (पादप संरक्षण) ने भाग लिया।

कृषि सचिव ने टिड्डी नियंत्रण हेतु

आगामी तैयारियों के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा के टिड्डी प्रभावित जिलों मे टिड्डियों के बारे में जागरूकता अभियान कार्यक्रम एक निश्चित समय में आयोजित करने हेतु कहा। जिसमें राज्य कृषि विभाग के अधिकारी, ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग के पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को भी टिड्डी के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 301.54 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं मंजूर

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की बैठक में कुल 67.29 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सहित 301.54 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाएं मंजूर की गईं। इन परियोजनाओं को उद्योग मंत्रालय की किसान संपदा योजना की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के तहत मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से दस हजार लोगों को रोजगार मिलने और लगभग चालीस हजार किसानों को लाभ होने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से सरकार व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है और भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण और/या उत्पादन के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। एफपीओ द्वारा कृषि क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार के लिए फसल कटाई पश्चात मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियों से अर्जित मुनाफे में आयकर में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की तैयारी तेज

खाने के तेल की महंगाई को लेकर गंभीर हुई मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) की तैयारी तेज कर दी है। खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम करने जा रही है और जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लांच करने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एनएमईओ की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। एनएमईओ के विजन दस्तावेज को मंजूरी मिलने के बाद इसे लांच किया जाएगा और अगले वित्त वर्ष में इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले महीने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा था कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लाने जा रही है, जिस पर अमल किए जाने पर तेल आयात पर देश की निर्भरता घटने लगेगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनएमईओ के तहत सरकार ने वर्ष 2024-25 तक खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन तकरीबन 100 लाख टन से बढ़ाकर 180 लाख टन करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तिलहन फसलों का रकबा अगले पांच साल में बढ़ाकर 300 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किया जाएगा। सरकार एक तरु तिलहनों की उत्पादकता में 50 फीसदी वृद्धि करना चाहती है तो दूसरी तरफ खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में करीब तीन किलोग्राम की कमी करने का लक्ष्य है। देश में तिलहनों का कुल उत्पादन इस समय तकरीबन 300 लाख टन होता है जिसे अगले पांच साल में बढ़ाकर करीब 480 लाख टन करने का लक्ष्य है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार खाद्य तेल आयात में कमी लाकर विदेशी मुद्रा की बचत करना चाहती है। देश के खाद्य तेल उद्योग को एनएमईओ लांच होने का इंतजार है। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट अतुल चतुर्वेदी ने कहा, 'हम लोग काफी समय से इसकी मांग करते रहे हैं और जब यह लांच होगा हम लोग तहेदिल से इसका स्वागत करेंगे।श एसईए के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ। बीवी मेहता ने बताया कि देश में सालाना खाद्य तेल के आयात पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपये खर्च होता है।

सूत्रों ने कहा कि ऐसे में सरकार ने एनएमईओ के तहत जिस मिशन मोड में तेल और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने लक्ष्य रखा है, उससे खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होने से आयात बिल घटना स्वाभाविक है। पिछले तेल-तिलहन सीजन 2018-19 (नवंबर-अक्टूबर) के दौरान भारत ने 149. 13 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जबकि इससे एक साल पहले 2017-18 के दौरान खाद्य तेल का आयात 145.16 लाख टन हुआ था। कुल वनस्पति तेल (खाद्य एवं अखाद्य तेल) का आयात 2018-19 में 155. 49 लाख टन हुआ था जबकि एक साल पहले 2017-18 के दौरान कुल वनस्पति तेल का आयात 150.02 लाख टन हुआ था। भारत खाद्य तेल के कुल आयात का तकरीबन 65 फीसदी पाम तेल आयात करता है। पाम तेल का आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है जहां बायोडीजल में पाम तेल के उपयोग की अनिवार्यता लागू होने से आयात महंगा हो गया है, जिससे भारत में तमाम खाद्य तेल महंगे हो गए हैं।

देशभर में बनेंगे 10 हजार किसान उत्पादक संगठन

छोटे किसानों को संगठित कर खेती करने के लिए सरकार ने देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार कुल 4,496 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से 2024 तक इन एफपीओ का गठन करेगी। सरकार हर एफपीओ को उसके गठन के अगले पांच साल तक मदद देगी। इसके लिए 2024-25 से 2027-28 की अवधि में एफपीओ के सहयोग हेतु 2,369 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस तरह इस योजना पर कुल खर्च 6,865 करोड़ रुपये होगा।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि व किसान

कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना को लागू करने में तीन सरकारी एजेंसियों स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका रहेगी। योजना में एक जिला, एक उपज समेत कई अन्य स्कीमों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक एफपीओ में शामिल किसानों की संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 और पहाड़ी राज्यों में 100 होगी। इन संगठनों को कई तरह की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। तोमर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो एफपीओ गठित किए जाएं। देश के चिन्हित 115 आकांक्षी जिलों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के लिए नाबार्ड 1000 करोड़ और एनसीडीसी 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट फंड उपलब्ध कराएंगे।

उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आंध्र के किसानों के बारे में बातचीत

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के धान किसानों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विचार-विमर्श किया।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें राज्य में समग्र खरीदारी स्थिति के बारे में जानकारी दी।

श्री नायडू ने उनसे किसानों को देरी से भुगतान, धान किसानों से समय पर खरीदारी न होने और एफसीआई खरीदारी मानदंडों को लागू नहीं करने के बारे में प्राप्त रिपोर्टों पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि इनसे किसानों को धान की बिक्री में परेशानी हो रही है।

अधिकारियों ने श्री नायडू को आश्वासन दिया कि किसानों और मिल मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और साथ ही राज्य सरकार को बकाया राशि का तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा।

उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की और उनसे राज्य सरकार को धन की मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को सरकार की हरी झंडी

ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मिशन का दूसरा चरण 2024-25 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पत्रकारों को इसकी जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दूसरे चरण में 'खुले में शौच' की समस्या से मुक्त (ओडीएफ) होने के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान जहां ओडीएफ अभियान को जारी रखा जाएगा, वहीं कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे। स्वच्छता मिशन के दूसरे चरण को लागू करने में 2020-21 से 2024-25 के बीच 52,497 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्रियान्वयन के लिए 30,375 करोड़ का प्रस्ताव किया है। ओडीएफ प्लस कार्यक्रम मनेरगा के साथ सम्मिलित होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आइएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नए पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए वित्तपोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण (सीएमएससी) के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर दो से तीन लाख रुपये कर दिया गया है।

देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की शुरुआत के समय 38.7 फीसद दर्ज की गई थी। इस मिशन के शुरू होने से 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित किया। हालांकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को यह सलाह दी है कि वे इस बात की पुन: पुष्टि कर लें कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो। अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती है तो उसको शौचालय निर्माण के लिए जरूरी मदद दी जाए ताकि कोई भी पीछे न छूटे।

1 से 7 मार्च तक मनाया गया जन औषधि सप्ताह

देश भर में 1 से 7 मार्च 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा और जन औषधि का साथ जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई गयीं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना भारत सरकार के औषध निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों से बड़े स्तर पर आम जनता को लाभ पहुंचा रही है। इस समय देश में ऐसे औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6200 से ज्यादा हो चुकी है और 700 जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान (फरवरी 2020) तक इन केन्द्रों से 383 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं बेची गयीं। बाजार कीमतों में बेची जाने वाली दवाओं की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ता होने के कारण इससे आम जनता को करीब 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। ●

बजट 2020

ग्रामीण भारत को क्या मिला?

गांव, कृषि और किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा भी की। परन्तु बजट का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करना नहीं होता, बल्कि घोषणाओं के पीछे किये धनराशि आवंटन का आंकलन ही बजट का असली विश्लेषण होता है।

■ चौ. पुष्पेन्द्र सिंह

एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को संसद में पेश किया गया। सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। गांव, कृषि और किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा भी की। परन्तु बजट का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करना नहीं होता, बल्कि घोषणाओं के पीछे किये धनराशि आवंटन का आंकलन ही बजट का असली विश्लेषण होता है।

वर्ष 2019-20 का देश का कुल बजट लगभग 27.86 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार केवल 26.98 लाख करोड़ रुपए ही इस वित्त वर्ष में खर्च किये जायेंगे। लगभग नौ प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020-21 का कुल बजट लगभग 30.42 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट में ग्रामीण भारत को क्या मिला और इससे किसानों की आय दोगुनी करने में कितनी मदद मिलेगी इसका विश्लेषण करते हैं।

वर्ष 2019-20 में कृषि मंत्रालय का बजट 138,564 करोड़ रुपए था, परन्तु इसे संशोधित बजट में कम करके 109,750 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 75,000 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 54,370 करोड़ रुपए ही खर्च किये गए। इसका कारण पात्र किसानों का धीमी गति से सत्यापन होना बताया गया है। अब तक इस योजना में कुल लक्षित लगभग 14.5 करोड़ किसानों में से केवल 9.5 करोड़ किसानों का ही पंजीकरण हुआ है। इनमें से अभी तक केवल 7.5 करोड़ किसानों का ही सत्यापन हो पाया है।

बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से अभी तक अपने एक भी किसान का पंजीकरण इस योजना में नहीं करवाया है, जो वहां के किसानों के साथ एक अन्याय है। परन्तु खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए इस वर्ष के बजट में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष किया जाना चाहिए था। भविष्य में भी इस योजना की राशि को महंगाई दर के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक किसान को

24,000 रुपए मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में तुरन्त क्रय-शक्ति बढ़ती, खर्च बढ़ने से मांग बढ़ती और अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती। परन्तु अफसोस है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना का बजट इस वर्ष की तरह अगले वित्त वर्ष में भी 75,000 करोड़ रुपए ही रखा है। आशा है कि सरकार अगले वर्ष के लिए आवंटित इस सारी धनराशि को खर्च करेगी।

पिछले साल सरकार द्वारा घरेलू कंपनियों की आयकर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने से सरकार पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। सरकार को आशा थी कि आयकर कम करने से कंपनियां निवेश बढाएंगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मांग के अभाव में जब अधिकांश उद्योग अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन ना कर रहे हों तो नए उद्योगों में निवेश का कोई सवाल ही नहीं उठता। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा उपलब्ध कराने से मांग बढ़ती तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता और नये निवेश की संभावना भी बढ़ती। आशा है सरकार बजट पारित करते समय इस बिंदु पर गौर अवश्य करेगी और पीएम-किसान योजना का बजट आवंटन बढ़ाएगी।

वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय का बजट मामूली सा बढ़ाकर 142,762 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आशा है कि सरकार इस वर्ष इस बजट को पूरा खर्च करेगी। इस वर्ष कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का बजट 8,362 करोड़ रुपए है। कृषि अनुसंधान और विस्तार पर हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं। भविष्य में पर्यावरण बदलाव और बढ़ते तापमान से होने वाले फसलों के नुकसान से बचने, बढ़ती आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान के बजट में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता है। 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, तथा पीएम-किसान के अंतर्गत पात्र किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध होगा, जो स्वागत योग्य कदम है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 122,398 करोड़ रुपए है। इसमें ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने की मनरेगा योजना के लिए 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि इस योजना में इस वर्ष 71,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस योजना में होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए इसको खेती-किसानी से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि किसानों की कृषि-श्रम लागत कम हो और इस योजना में गैर उत्पादक कार्यों में होने वाली धन की बर्बादी को रोका जा सके। इस मंत्रालय के अंतर्गत पीएम ग्राम सड़क योजना का बजट 19,500 करोड़ रुपए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का बजट भी 19,500 करोड़ रुपए ही प्रस्तावित है। ग्रामीण भारत के लिए ये दोनों योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः इनके बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है।

> **बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद ग्रामीण भारत के बजट में वास्तव में कटौती कर दी गई है। ग्रामीण भारत में बसने वाली 70 प्रतिशत आबादी के लिए केवल 11 प्रतिशत बजट कितना उपयुक्त है, और क्या सरकार इतनी कम धनराशि आवंटन से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर पाएगी, यह चिंतन का विषय है।**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कृषि में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पिछले वर्ष के 80,035 करोड़ से घटाकर 71,345 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे जीरो बजट खेती, जैविक खेती और परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन देने की सोच है। यूरिया खाद पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण इस खाद का जरूरत से ज्यादा प्रयोग हो रहा है जिससे जमीन और पर्यावरण दोनों का क्षरण हो रहा है। इस विषय में नीति निर्धारकों का विचार है कि आने वाले समय में खाद सब्सिडी को भी सीधे पीएम-किसान योजना की तरह किसानों के खातों में नकद प्रति एकड़ के हिसाब से भेजा जाए तो खाद सब्सिडी में भारी बचत भी होगी और अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग भी नहीं होगा।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का बजट 3,737 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,114 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन कृषि का अभिन्न अंग है और कृषि जीडीपी में इसकी लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मत्स्य उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण के लिए घोषित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखते हुए यह बहुत कम आवंटन है। इस मंत्रालय का बजट कृषि बजट का कम से कम 30 प्रतिशत यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में अमूल, इफको जैसी किसानों की अपनी सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। पिछले साल सरकार ने घरेलू कंपनियों के आयकर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था, परन्तु इन सहकारी संस्थाओं पर आयकर पहले की तरह 30 प्रतिशत की दर से ही लग रहा था। इस विसंगति को इस बजट में दूर कर दिया गया है जो स्वागत योग्य है। परन्तु 2005-06 तक इन सहकारी संस्थाओं पर कंपनियों के मुकाबले पांच प्रतिशत कम दर से आयकर लगता था। आशा है अगले बजट में इसे 2005-06 से पहले वाली व्यवस्था के अनुरूप यानी 17 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

किसानों और ग्रामीण भारत से सरोकार रखने वाले कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का 2019-20 वित्त वर्ष का संयुक्त कुल बजट लगभग 342,000 करोड़ रुपए था जो संपूर्ण बजट का लगभग 12 प्रतिशत था। इस वर्ष उपरोक्त मंत्रालयों का कुल बजट 340,600 करोड़ रुपए है जो संपूर्ण बजट का मात्र 11 प्रतिशत है। 2020-21 के संपूर्ण बजट में की गई बढ़ोतरी की तरह ग्रामीण भारत के बजट में भी यदि नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती तो यह 371,000 करोड़ रुपए होता। अर्थात बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद ग्रामीण भारत के बजट में वास्तव में कटौती कर दी गई है। ग्रामीण भारत में बसने वाली 70 प्रतिशत आबादी के लिए केवल 11 प्रतिशत बजट कितना उपयुक्त है, और क्या सरकार इतनी कम धनराशि आवंटन से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर पाएगी, यह चिंतन का विषय है।

(लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और ये उनके निजी विचार हैं)

(https://www.gaonconnection.com)

कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय

किसान बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए एक उद्यमी की तरह पेश आएगा और सोच-समझ कर फैसले लेगा, तो निश्चित तौर पर उसे लाभ मिलेगा। देश में आये दिन ऐसे प्रयोग और लाभ कमाने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। आज किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी जलवायु परिवर्तन को लेकर सतर्क रहने और समस्या का त्वरित हल तलाशने की जरूरत है। यदि फसल में देरी हो रही है तो कृषि वैज्ञानिक किसानों को बताएं कि बदलती जलवायु की आकस्मिक परिस्थिति में गेहूं के अतिरिक्त वे किस फसल की बुवाई करके, किस तरह लाभ कमा सकते हैं।

■ एनएस राठौड़

केन्द्र सरकार का कहना है कि वह वर्ष 2022 तक किसानों (farmers) की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर भी रही है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल योजनाएं बना देने से ही लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं होगा। यदि इस मामले में सफलता प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर सभी को एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) का समावेश करना होगा और अभियान की तरह जुटना होगा। एकीकृत कृषि प्रणाली से यहां आशय है कि किसान केवल खेती-बाड़ी से होने वाली आय पर ही आश्रित न रहें, बल्कि इससे जुड़े अन्य कार्यों में भी आय के साधनों को अपनाएं। उदाहरण के लिए उन्हें बागवानी, डेयरी फार्मिंग, दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि कार्यों को भी अपनाना होगा। इससे एक ओर रोजगार सृजन होगा तो दूसरी ओर किसानों की कृषि आय में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी।

यह सही है कि देश में छोटी जोत वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक है। उनके लिए एकाएक भूमि का आकार तो बढ़ने वाला नहीं और न ही खेती की उस भूमि पर पानी की उपलब्धता की स्थिति में कोई सुधार होने वाला है। ऐसे में आय बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है कि किसान उत्पादकता सुधार कर उपज में बढ़ोतरी के नए तौर-तरीके अपनाएं। केवल इतना ही नहीं, उत्पादन लागत को भी तीव्रता के साथ कम करना होगा। यह भ्रांति है कि पैदावार में बढ़ोतरी से किसानों को हानि उठानी पड़ती है। यदि कोई किसान बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए एक उद्यमी की तरह पेश आएगा और सोच-समझकर फैसले लेगा तो निश्चित तौर पर उसे लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि देश में आये दिन ऐसे प्रयोग किए जाने और लाभ कमाने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में भी इस दिशा में सफल प्रयास हुए हैं। इस राज्य में एक मॉडल विकसित किया गया, जिसके तहत पांच-छह ग्राम पंचायतों

का एक क्लस्टर बनाकर उनमें से एक ऐसी पंचायत को चुना गया जो अन्य शहरों से बेहतर संपर्क में थी। उस ग्राम पंचायत को मंडी के तौर पर विकसित किया गया। इससे किसानों के लिए उपज की परिवहन लागत में कमी आई है। वे पास की मंडी में अपनी उपज बेचने में कामयाब हुए। इसके बाद गांव के कुछ युवा, जो नई तकनीक जैसे कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन आदि का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और अन्य बड़ी मंडियों के संपर्क में रहते हैं, को कुछ बेहतर कीमत में निकटवर्ती गांवों के किसानों की उपज बेचने का मौका दिया गया। इससे उन्हें भी रोजगार का अवसर मिला।

गुजरात में भी कई जगह इस किस्म के प्रयोग हुए और वे सफल भी रहे। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में भी किसानों को इस बिजनेस मॉडल पर काम करना चाहिए। उत्पादन लागत की बात करें तो हमारे देश में इसके अक्सर बढ़ जाने के पीछे मुख्य कारण है- उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करना या फिर उन्नत प्रौद्योगिकी और उसके फायदों से अनभिज्ञ होना। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि सरकार की ओर से उपलब्ध तकनीकी सहयोग के लिए किसान आगे बढ़कर पहल करें। इस बात को इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि भारत एक दशक से दुनिया में दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर है। आज देश में करीब 165 करोड़ टन दूध का उत्पादन हो रहा है। जब इस स्थिति में भारत में प्रसंस्करण करके दूध पाउडर तैयार किया जाता है तो दूध का मूल्य 250 रुपए प्रति किलोग्राम बैठता है। इसके विपरीत विदेशों में दूध पाउडर 120 रुपए किलोग्राम पर उपलब्ध हो जाता है। स्पष्ट है यदि हम उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते और लागत को कम नहीं करते, तो निर्यात क्षेत्र में मौजूद अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जबकि उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से न केवल लागत कम होगी, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और उत्पादों के निर्यात के अवसर भी बेहतर होंगे।

देश में आज लगभग सभी राज्यों में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। आमतौर पर देश में जहां पर भी गेहूं की बुवाई होनी होती है, वह अधिकतम 22 नवंबर तक हो जाती है। लेकिन इस बार दीपावली बीत जाने के बाद भी कहीं-कहीं बरसात हो रही है और कहीं-कहीं तो खेतों में पानी भी भरा हुआ है। ऐसे में यदि नवंबर में भी बारिश जारी रहती है तो गेहूं की बुवाई करने वाले किसानों की मुश्किल यह होगी कि वे कब गेहूं की बुवाई करें और कब फसल काटें। आज किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी जलवायु परिवर्तन को लेकर सतर्क रहने और समस्या के त्वरित हल तलाशने की जरूरत है। यदि फसल में देरी हो रही है तो कृषि वैज्ञानिक किसानों को बताएं कि बदलती जलवायु की आकस्मिक परिस्थिति में गेहूं के अतिरिक्त वे किस फसल की बुवाई करके, किस तरह लाभ कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादक किसान मसाले या सब्जियां उगा सकते हैं। इसी तरह उदयपुर के किसान यदि सब्जियों की बुवाई पहले कर लेते तो आस-पास के इलाकों में स्थानीय स्तर पर ही सब्जियों की आपूर्ति की जा सकती थी। लेकिन आज उदयपुर को ही गुजरात से सब्जियां मंगवानी पड़ रही हैं। इस दिशा में किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

जागरूकता और व्यापारिक सोच आज के दौर में किसानों के लिए दो खास जरूरते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान अन्य फसलों के साथ आंवला लगा देते हैं। समय आने पर जब उन्हें बेचने मंडी जाते हैं तो उसे पांच रुपए किलो का भाव ही मिलता है। यदि वह सुलझी हुई कृषि व्यापार रणनीति अपनाता है तो एक किसी प्रसंस्करण कंपनी को भी 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर आंवला बेच सकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ आज किसान को तालमेल बिठाना होगा। ऐसा होने पर वह अपने उत्पाद के मूल्य का निर्धारण स्वयं कर सकेगा। वह इस बात से अनजान नहीं होगा कि कहां उसकी उपज की खपत है और कहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। आज गांवों में भी लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है इन संसाधनों के सही इस्तेमाल की। देश में यदि किसान जागरूकता के साथ उद्यमी की तरह व्यवहार कर अपनी उपज को बाजार में बेचेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है आय को दोगुना करना।

(स्रोत: राजस्थान पत्रिका)

बजट में की गई भारी कटौती

किसानों को यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य खाद मिलना होगा मुश्किल

इस वर्ष खरीफ तथा रबी मौसम के सीजन में कई राज्यों में किसानों को खाद (उर्वरक) खरीदने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के लाख दावों के बाबजूद भी किसानों के पास उर्वरक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें यूरिया सबसे महत्वपूर्ण खाद है जिसकी कमी देश के कई राज्यों में देखने को मिली है। खासकर मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यूरिया के लिए किसानों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बाबजूद भी किसानों को 266 रुपये प्रति 45 किलोग्राम का पैकेट ब्लैक में 340 रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है।

यह हालत तब है जब देश के केन्द्रीय बजट से उर्वरक पर 79,996 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। इसमें यूरिया के लिए 53,629 करोड़ रुपये की सब्सिडी थी तो वहीं पोषक तत्व आधरित खाद (डी.ए.पी., एनपीके, जिंक, सल्फर इत्यादि) पर 26,367 करोड़ रुपये की सब्सिडी थी।

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों के लिए 71,309 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें यूरिया के लिए 47,805 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तो वहीं पोषक तत्व आधारित उर्वरकों के लिए 23,504 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस वर्ष उर्वरकों के लिए 8,690 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इसमें यूरिया के लिए 5,824 करोड़ रुपये तथा अन्य पोषक तत्वों के लिए 2,863 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वर्ष 2020-21 में यूरिया की कुल 335.31 लाख मीट्रिक टन बिक्री का लक्ष्य रखा गया है तो वहीं पोषक आधारित उर्वरकों के लिए 215.22 लाख मीट्रिक टन बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।

उर्वरक तथा इस पर दी जाने वाली सब्सिडी सभी प्रकार के उर्वरकों में दी जाती है, चाहे वे देश में उत्पादित होते हैं या विदेश से आयात होते हैं। इसके साथ इसमें उर्वरक को बेचने वाले को हस्तांतरण किये जाने वाले पैसे भी शामिल हैं। ऐसे में यह देखना होगा की उर्वरक पर बजट में कटौती करने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केद्र सरकार ने कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद का उत्पादन तथा आय दोनों कम कर दी है।

वर्ष 2013 से लेकर 2018-19 में देश में यूरिया का उत्पादन 225 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा था, लेकिन वर्ष 2019 -20 में यूरिया का उत्पादन सीधे 138 .28 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में यूरिया का उत्पादन में 111.72 लाख मीट्रिक टन कम कर दिया गया है। इसका असर भी इस खरीफ तथा रबी मौसम में देखने को मिला है।

इस तरह वर्ष 2018-19 में डी.ए.पी. का उत्पादन 38.99 लाख मीट्रिक टन था तो वहीं वर्ष 2019-20 में यह घटकर 25.52 मीट्रिक टन हो गया है। मिश्रित उर्वरक का उत्पादन भी वर्ष 2018-19 के मुकाबले कम हुआ है। जहां वर्ष 2018-19 में मिश्रित उर्वरक का उत्पादन 89.98 लाख मीट्रिक टन हुआ है, वहीं वर्ष 2019-20 में 51.42 लाख मीट्रिक टन ही उत्पादन किया गया है।

भारत सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन के साथ ही आयात को कम कर दिया है, जिससे किसानों को उर्वरक जरूरत से कम मिल रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जब पिछले वर्ष उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई गई थी तो उत्पादन भी कम कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष सब्सिडी कम करने के बाबजूद भी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

(https://kisansamadhan.com)

पीएम-किसान योजना का एक साल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 24 फरवरी 2020 को प्रथम वर्षगांठ मनाई गयी। इस योजना का शुभारंभ देश भर के सभी खेतिहर किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था।

यह योजना 01 दिसम्बर 2018 से प्रभावी है। पात्रता के संबंध में लाभार्थियों की पहचान के लिए समय सीमा 01 फरवरी 2019 थी। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। योजना के लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in प्रारंभ किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम-किसान वेब-पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में 01 जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतिहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया।

नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। किसान पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण भी करा सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार डेटाबेस कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपने नाम में सुधार कर सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं।

लाभार्थियों के ग्रामवार विवरण भी फारमर्स कॉर्नर पर उपलब्ध हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी योजना के लिए किसानों के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। फारमर्स कॉर्नर पर दी गई उपरोक्त सुविधाएं सीएससी के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 14 करोड़ है। किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 1800-11-5526 या 155261 पर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अब ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर पीएम किसान टीम से संपर्क कर सकते हैं। ●

20-02-2020 को पीएम-किसान के लाभार्थी

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	किसानों/परिवारों की संख्या
अंडमान व निकोबार	16,521
आंध्र प्रदेश	51,17,791
बिहार	53,60,396
चंडीगढ़	423
छत्तीसगढ़	18,80,822
दादरा और नगर हवेली	10,462
दमन और दीव	3,466
दिल्ली	12,896
गोवा	7,248
गुजरात	48,75,048
हरियाणा	14,55,118
हिमाचल प्रदेश	8,72,175
जम्मू और कश्मीर	9,34,299
झारखंड	14,36,023
कर्नाटक	49,12,445
केरल	27,73,306
मध्य प्रदेश	55,19,575
महाराष्ट्र	84,59,187
ओडिशा	36,28,657
पुडुचेरी	9,736
पंजाब	22,40,189
राजस्थान	52,04,520
तमिलनाडु	35,34,527
तेलंगाना	34,81,656
उत्तर प्रदेश	1,87,64,926
उत्तराखंड	7,01,855
पश्चिम बंगाल	--
अरुणाचल प्रदेश	50,823
असम	27,04,200
मणिपुर	1,73,789
मेघालय	70,236
मिजोरम	67,540
नगालैंड	1,70,334
सिक्किम	1,372
त्रिपुरा	1,96,767
कुल योग	8,46,48,328

दिल्ली के दंगों ने फिर कुछ सवाल छोड़ दिये हैं। क्या दंगे कोई प्राकृतिक आपदा हैं, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है? क्या दंगे अचानक होते हैं? क्या योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराये जाते हैं? क्या दंगे कोई धर्मयुद्ध हैं? क्या दंगों का कोई राजनीतिक आधार और मकसद होता है? दंगों में किस तबके के लोग मारे जाते हैं? क्या दंगे सत्ता प्रायोजित भी हो सकते हैं? इसी तरह के अनेकों सवाल हैं जो अपना जवाब तलाश रहे हैं।

दिल्ली पर फिर दंगों की कालिख

■ **गणेश चंद्र पाण्डे**

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दंगों के भीषण दावानल में झुलस गयी। पिछली सदी में साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में हुए ये सबसे भवावह दंगे थे। सिख विरोधी दंगों के किसी भी गुनहगार को लगभग 35 वर्षों बाद भी सजा होना तो दूर की बात रही, दोषी भी नहीं ठहराया जा सका है। दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हुए हालिया दंगों में न जाने कितने घर-द्वार बर्बाद हुए हैं, न जाने कितनी मांओं से उनके लाल छिने हैं, कितनों ने अपने पति खोये हैं, मां खोयी है, और बच्चे खोये हैं। दुकानें तथा व्यापार उजाड़े गये हैं। भाईयों से बहनें तथा बहनों से भाई जुदा हुए हैं और वह भी सदा के लिए।

अभी तक लगभग 54 दु:खद मौतें इन दंगों में हुई हैं, यह आंकड़ा सरकार बता रही है। दंगों का पहला शिकार हुए शहीद रतनलाल को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, जो मासूम जनता को तथा अपने वरिष्ठों को दंगाइयों से बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गये। दंगों में मारे गये सभी लोग बेगुनाह होते हैं। जब भी दंगे होते हैं तो मासूम ही मारे जाते हैं, इंसान ही मारे जाते हैं, शैतान नहीं मारे जाते हैं। दंगा प्रभावित इलाकों में अनेक लोग आज भी अपने लापता परिजनों को तलाश रहे हैं। किसी ने शायद सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि उसे अपनों को कभी गंदे नालों व अस्पताल के मुर्दाघरों में तलाशना होगा। यह दंगे कितने भीषण रहे होंगे और इन दंगों में शामिल शैतान कितने नफरत से भरे और जहरीले थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दंगों की भेंट चढ़े आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा को दंगाइयों ने चार सौ बार चाकू घोंपे थे। अब हालांकि सरकारी खबरों में चिरपरिचित शैली में यह प्रसारित किया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। लेकिन दंगाग्रस्त इलाकों में लोग आज भी दहशत में हैं। अनेक लोग अपने घरों में आने से अब भी डर रहे हैं। जो वहां रह रहे हैं वह दोहरे दु:ख में जी रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने परिजनों को दंगों में गंवा दिया है और दूसरा अब वे अपने जले हुए घरों में अपनों की यादें तलाश रहे हैं। इलाके में दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा है। परंतु सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी से चलती हैं। यह विडंबना ही है कि इस व्यवस्था में मनुष्य भावनाओं से रिक्त एक संख्या मात्र रह गया है।

दिल्ली के दंगों ने जहां एक बार फिर दंगों की दर्दनाक दास्तानों और जख्मों को ताजा कर दिया है, वहीं यह भी साबित कर दिया है कि भारत में धर्म तथा धार्मिकता से रिक्त दानव इक्कीसवीं सदी में भी बने हुए हैं। भारत भूमि में मनुष्य को दानवता से बाहर लाने की कोशिशें पिछले लगभग 2500 सालों से लगातार हो रही हैं। दंगों के परिप्रेक्ष्य में जब भी चर्चा होती है तो हम अशोक के द्वारा तत्कालीन गणराज्य कलिंग पर किये गये भयंकर हमले को भूल जाते हैं। हम प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध को भी बिसरा देते हैं। वर्तमान में हम सीरिया में जो हो रहा है उसे भी प्रसंग से काट देते हैं। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक युद्ध एक बड़ा दंगा है और प्रत्येक दंगा एक लघुयुद्ध है। हम इसे गृहयुद्ध भी कह सकते हैं।

युद्ध तथा दंगा एक ऐसी नृशंस तथा घृणित घटना है जो यह साबित करती है कि मनुष्य प्रजाति या मनुष्य के सामूहिक रूप में धर्मयुद्ध के नाम पर या कभी जिहाद के बहाने गैंगरेप के रूप में अपने से कमजोर पर हर प्रकार के जुल्म के रूप में सामने आती हैं। यहां तक कि यौन व्यवहार भी पुरुष का स्त्री पर अपनी हिंसक तथा पाशविक प्रवृत्ति का विसर्जन है।

दिल्ली में हुए भीषण दंगों ने जो दर्द पीड़ितों को दिया है, और जो भय वहां रह रहे लोगों में भरा है, वे उस दर्द तथा भय से आजीवन मुक्त नहीं हो पायेंगे। इन दंगों का शिकार हुए लोग चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम हों या अन्य किसी पंथ-संप्रदाय के हों, वे सभी मासूम थे, इंसान थे। क्योंकि दंगों में

कभी किसी शैतान की जान नहीं जाती है, बल्कि इंसान के साथ इंसानियत कत्ल होती है। यह बात अलहदा है कि हम वर्षों से शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा कर रहे हैं। रावण का पुतला जला रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर हमारे ही आस-पास गली-घरों में शैतान और रावण घूम रहे हैं।

इन दंगों के बाद सबसे ज्यादा निंदनीय रहा राजनीतिक तथा सामाजिक भरोसे को बहाल किये जाने की कोशिशें नहीं किया जाना। जब दिल्ली दंगों के दावानल में जल रही थी तब दिल्ली सरकार के विधायकों का शपथ-ग्रहण समारोह चल रहा था। प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदाई में लगे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अमेरिका को कूटनीति के मामले में दो-मुंहा सांप कहा था। उसी राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख की अगवानी कुछ इस तरह की गयी कि जैसे भारत भूमि पर भारत-भाग्य-विधाता पधारा हो। मैं आतिथ्य-सत्कार का विरोधी नहीं हूं, परंतु मेहमान तो सभी हमारे लिए बराबर ही होते हैं, यही सनातन धर्म है- अतिथि देवो भव:। इस प्रकार से आचरण कर हम अन्य राष्ट्रों को नाराज कर रहे हैं। यह नाराजगी कभी न कभी अवश्य हमारे सामने आयेगी।

दिल्ली के दंगों ने फिर कुछ सवाल छोड़ दिये हैं। क्या दंगे कोई प्राकृतिक आपदा हैं, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है? क्या दंगे अचानक होते हैं? क्या योजनाबद्ध तरीके से दंगे कराये जाते हैं? क्या दंगे कोई धर्मयुद्ध हैं? क्या दंगों का कोई राजनीतिक आधार और मकसद होता है? दंगों में किस तबके के लोग मारे जाते हैं? क्या दंगे सत्ता प्रायोजित भी हो सकते हैं? इसी तरह के अनेकों सवाल हैं जो अपना जवाब तलाश रहे हैं।

दंगों के बाद अब आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, भाजपा-कांग्रेस और आप दिल्ली के दंगों के लिए अपने आप को निर्दोष साबित करने हेतु भांति-भांति के कुतर्क ढूंढ़ रही हैं। लेकिन जिस चीज की इस वक्त सख्त जरूरत है, वह गायब है। वह चीज है राजनीतिक तथा सामाजिक भरोसा कायम करना। दंगाग्रस्त इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का काफिला जब तक भेजा गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। दंगों में जो लूटपाट हुई उससे तो यही लगता है कि दंगों में लुटेरे और जरायम पेशा लोग भी शामिल थे। दंगों के पहले के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर दौड़ायें तो दंगों की पृष्ठभूमि को समझने में मदद मिल सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान और उससे पहले भी सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को लेकर जो विरोध-समर्थन की राजनीति हुई और उस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने जो भाषण तथा बयानबाजियां कीं, उनको इन दंगों के परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, एमक्यूएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अवसरवादी राजनीति, जामिया-मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दंगा-फसाद, जेएनयू में छात्रों तथा विवि प्रशासन के बीच टकराव, शाहीन बाग आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनको इन दंगों की पृष्ठभूमि में देखा जाना जरूरी है। दंगों के दौरान ताहिर और कपिल मिश्रा जैसे अवसरवादी नेताओं का व्यवहार और बयान भी इन दंगों को लेकर होने वाले न्यायालयी विचारण में अवश्य विचारित किये जाने चाहिये। दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये व्यवहार पर भी उंगलियां उठायी जा रही हैं। सच्चाई तो यह भी है कि जब नागरिकों तथा नागरिक सुरक्षाबलों के बीच का भरोसा टूट जाता है तो स्थिति दंगों तक पहुंच जाती है। इन दंगों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत अभी भी काफी आदिम मानसिकता वालों का मुल्क है। दंगों में व्यक्तिगत संपत्तियों की की गयी लूटपाट तथा महिलाओं से की गयी अभद्रता तो यही दर्शाती है।

© BOOL 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

दिल्ली में हुए भीषण दंगों में असमय मारे गये सभी लोगों की दु:खद मृत्यु पर 'कृषि चौपाल' परिवार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर दु:खद परिवारों के परिजनों को इस असीम दु:ख को सहने की क्षमता प्रदान करे। दंगों के दौरान जिन लोगों ने पीड़ितों की मदद कर इंसानियत जिंदा रखी है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। ●

भारत में दस साल में सूख गयीं 4500 नदियां

अमेरिका 6 हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति वर्षा जल संग्रहित करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 हजार, चीन 2500, स्पेन 1500 और भारत केवल 200 घन मीटर प्रति व्यक्ति बारिश का पानी जमा करता है। देश की 16 करोड़ से अधिक आबादी की पहुंच साफ पानी से दूर है, जबकि इथोपिया 6.1 करोड़, नाइजीरिया 5.9 करोड़, चीन 5.8 करोड़ और कांगो की 4.7 करोड़ जनसंख्या की पहुंच साफ पानी से दूर है।

■ **हिमांशु भट्ट**

हमारे देश में 'डग-डग रोटी, पग-पग नीर' की कहावत प्रचलित थी। यानी देश में पानी इतनी प्रचुर मात्रा में था कि देश के हर बाशिंदे की पानी से संबंधित सभी आवश्यकता पूरी जो जाती थी। जल संपदा से संपन्न होने के साथ ही भारत की नदियों का जल निर्मल और पवित्र भी था, जो विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश करता था। गंगा के जल को तो अमृत का दर्जा दिया गया है, तो वहीं कृष्ण की यमुना, नर्मदा, सरस्वती का जल भी अमृत समान था, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ-साथ वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। इंसानों के रहने के लिए कंक्रीट के जंगल खड़े किए गए। विज्ञान के विस्तार के साथ नए-नए संसाधनों का आविष्कार हुआ। इंसानों के शौक व जरूरतों को पूरा करने तथा बढ़ती आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए गए। इन उद्योगों का कचरे व केमिकल वेस्ट को सीधे नदियों में बहाया जाने लगा। प्लास्टिक के आविष्कार ने इंसानों को प्लास्टिक का इस हद तक आदी बना दिया कि धरती के गर्भ से लेकर समुद्र की गहराई व ऊपरी सतह पर तक प्लास्टिक कचरे का अंबार लग गया है। जिससे भूजल जल प्रदूषित होकर नदियों और नदियों से समुद्र में मिल रहा है और अब यही प्लास्टिक इंसानों के शरीर के अंदर भी पहुंच गया है। खेती में रसायनों के उपयोग से भोजन के साथ ही भूमि की सतह भी विषाक्त होती जा रही है। आधुनिकीकरण की इस दौड़ में लोगों के साथ ही सरकारों ने भी पर्यावरण को उपेक्षित रखा और इसका निरंतर दोहन करते चले गए। नतीजन देश की 4500 से ज्यादा नदियां सूख गई और जल से संबंधित देश में सभी कहावतें केवल इतिहास बनकर रह गई हैं।

आजादी से पहले भारत में करीब सात लाख गांव हुआ करते थे। बंटवारे में पाकिस्तान के अलग देश बनने के बाद लगभग एक लाख गांव पाकिस्तान में शामिल हो गए। हर गांव में करीब पांच जल संरचनाएं हुआ करती थीं, यानी आजाद भारत में 30 लाख जल संरचनाएं थीं, लेकिन अति उपयोग व लगातार दोहन

और पर्यावरण चक्र बिगड़ने के कारण बीस लाख तालाब, कुएं, पोखर और झील आदि पूरी तरह सूख चुके हैं। दस साल पहले देश में लगभग 15 हजार नदियां हुआ करती थीं, लेकिन 30 प्रतिशत यानी लगभग 4500 नदियां पूरी तरह से सूख कर केवल बरसाती नदियां ही बनकर रह गई हैं। राजस्थान और हरियाणा में 20 प्रतिशत स्थानों का भूजल स्तर 40 मीटर या इससे अधिक नीचे चला गया है, जबकि गुजरात में 12 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 22 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 4 प्रतिशत स्थानों का भूजल स्तर 40 मीटर या इससे अधिक नीचे चला गया है।

राजस्थान में यदि तालाबों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 772 तालाब और बावड़ियों में से 443 में पानी है, जबकि 329 सूख चुके हैं या इन पर अतिक्रमण है। पेजयल और सिंचाई के उपयोग में आने वाली राजस्थान की 11 प्रमुख नदियों में ज्यादातर बरसाती हैं, लेकिन जल संरचनाओं की जितनी उपेक्षा उत्तर प्रदेश में हुई शायद ही कहीं हुई होगी। उत्तर प्रदेश के 1 लाख 77 हजार कुओं में से पिछले पांच सालों में 77 हजार कुएं सूख चुके हैं। 24 हजार 354 तालाब व पोखरों में से 23 हजार 309 में ही पानी है, तो वहीं 24 में से 12 झीलें बीते पांच सालों में पूरी तरह सूख चुकी हैं। बिहार की स्थिति भी इससे इतर नहीं है। बिहार में 4.5 लाख हैंडपंपों में पानी आना बंद हो गया है, यानी ये भूजल गिरने से सूख गए हैं। 8386 में से 1876 पंचायतों में भूजल स्तर कम हो गया है। बीते 20 वर्षों में सरकारी और निजी तालाबों की संख्या राज्य में 2.5 लाख से घटकर 98 हजार 401 रह गई है। 150 छोटी-बड़ी नदियों में से 48 सूख चुकी हैं। देश के अन्य राज्यों की स्थिति भी इससे इतर नहीं है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कनार्टक, तमिलनाडु, दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्य भी पानी के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। जिसका मुख्य कारण वर्षा जल का संरक्षण न करना और कृषि में पानी का अति उपयोग करना आदि हैं।

भारत में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। उपलब्ध पानी का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा देश में सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है, जबकि उद्योगों में 7 प्रतिशत, घरों में 11 प्रतिशत और अन्य कार्यों में 6 प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए भारत में अभी तक वर्षा जल संरक्षण करने की परंपरा विकसित नहीं हुई है। दरअसल भारत में हर साल 4 हजार घन मीटर बारिश होती है। जिसमें से हम केवल 17 प्रतिशत यानी 700 अरब घनमीटर का ही उपयोग करते हैं और 2131 अरब घन मीटर वर्षा जल का वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन वर्षा जल संरक्षण की ओर देश की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वर्षा जल संरक्षण में भारत अन्य देशों से पिछड़ रहा है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका 6 हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति वर्षा जल संग्रहित करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 हजार, चीन 2500, स्पेन 1500 और भारत केवल 200 घन मीटर प्रति व्यक्ति बारिश का पानी जमा करता है। देश की 16 करोड़ से अधिक आबादी की पहुंच साफ पानी से दूर है, जबकि इथोपिया 6.1 करोड़, नाइजीरिया 5.9 करोड़, चीन 5.8 करोड़ और कांगो की 4.7 करोड़ जनसंख्या की पहुंच साफ पानी से दूर है। विकराल होती इस समस्या के कारण भारत सरकार ने बीते वर्ष 343.3 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि इस वित्त वर्ष 398.9 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं, जो कि वर्ष 2010 में केवल 62.3 करोड़ ही था। नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट में कहा कि 2030 तक 40 प्रतिशत लोगों की पहुंच पीने के पानी तक खत्म हो जाएगी। जिससे करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं दी सकती की देश की जनता को साफ पानी उपलब्ध होगा।

दरअसल, देश को पानी के संकट से पार पाने के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। किसी और को दोष देने के बजाय देश के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का समझना होगा। जीवन-शैली में बदलाव लाकर पानी की खपत को कम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा को विकसित करना होगा। सरकार को चाहिए कि भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए देश में करोड़ों रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय करने के बजाय देशभर में लाखों की संख्या में रिचार्ज कुएं बनाए जाएं। देश में तालाबों की संस्कृति को विकसित किया जाए। पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में वृहद स्तर पर मिश्रित पौधों का रोपण किया जाए। साथ ही इन पौधों का पूरी तरह से संरक्षण भी किया जाए। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को भी अपने स्तर पर पहल करनी होगी, और प्लास्टिक जैसी अन्य सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि इन सभी वस्तुओं से जल प्रदूषित होता है और हम कितने भी प्रयास करके जल का संरक्षण भले ही कर लें, लेकिन यदि उसे स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो हमारे किसी भी प्रयास का कोई औचित्य नहीं रहेगा, जिससे स्वच्छ जल केवल इतिहास बनकर रह जाएगा।

(Source: www.indiawaterportal.org)

राजस्थान में यदि तालाबों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 772 तालाब और बावड़ियों में से 443 में पानी है, जबकि 329 सूख चुके हैं या इन पर अतिक्रमण है। लेकिन जल संरचनाओं की जितनी उपेक्षा उत्तर प्रदेश में हुई शायद ही कहीं हुई होगी। तालाब व पोखरों में से 23 हजार 309 में ही पानी है, तो वहीं 24 में से 12 झीलें बीते पांच सालों में पूरी तरह सूख चुकी हैं। बिहार की स्थिति भी इससे इतर नहीं है।

जैविक खेती की राह आसान नहीं, सरकारी प्रयास बेदम

वर्ल्ड ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादकों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व के करीब 27 लाख जैविक उत्पादकों में 30 फीसदी यानी 8.35 लाख उत्पादक भारत में हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत की कुल कृषि में जैविक खेती की साझेदारी मात्र 0.8 फीसदी ही है।

■ साकेत आनंद

अभी हाल ही में (23 अक्टूबर को) बिहार के एक गांव ने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाने का जश्न मनाया। जमुई जिले का केड़िया गांव पिछले 3-4 सालों से काफी चर्चित रहा है। इसकी एकमात्र वजह यहां के किसानों द्वारा परंपरागत खेती के मॉडल को विकसित करना रहा है। करीब 100 परिवारों वाले इस छोटे गांव ने पिछले साल नवंबर में आधिकारिक रूप से 'जैविक गांव' का दर्जा पा लिया। यानी यहां शत-प्रतिशत जैविक खेती होती है, हालांकि सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। इसकी चर्चा आगे होगी। अभी जैविक खेती की जरूरतों और इसके प्रोत्साहन के लिए सरकारी प्रयासों को समझने की कोशिश करते हैं।

खेती-किसानी की जब बात आती है तो हम किताबों या हर जगह हरित क्रांति की चर्चा अवश्य पाते हैं। 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति ने देश की बढ़ती आबादी का पेट भरने का लक्ष्य रखा। इसका फायदा यह हुआ कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर जरूर बने। लेकिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से जैव-विविधता और मिट्टी व फसलों की गुणवत्ता पर धीरे-धीरे व्यापक असर पड़ा।

पर्यावरण के साथ-साथ हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया।

पिछले साल 'डाउन टू अर्थ' पत्रिका में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 120 से अधिक वैज्ञानिकों ने भारत में नाइट्रोजन की स्थिति का मूल्यांकन किया। इसके मुताबिक भारतीय किसान पिछले पांच दशकों में औसतन 6,610 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर चुके हैं क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। 67 फीसदी यूरिया मिट्टी, जल और पर्यावरण में पहुंच जाता है। करीब 33 फीसदी यूरिया का इस्तेमाल ही फसल कर पाती है। तीन लाख टन नाइट्रस ऑक्साइड भारत के खेत छोड़ते हैं जो पर्यावरण में पहुंच कर वैश्विक तापमान में वृद्धि करते हैं।

खेतों में रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी में प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की लगातार कमी हुई है और हो रही है। जिसके कारण पिछले एक दशक में जैविक खेती को अपनाने की दिशा में चर्चा तेज हुई। तीन साल पहले सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य घोषित हो चुका है। बाकी राज्य अभी इस पहल से काफी दूर नजर आते हैं। जिन राज्यों में जैविक खेती हो भी रही है, वहां सरकारी प्रयास काफी कम नजर आ रहे हैं। हालाकि सरकार का दावा है कि इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती आज जरूरी हो गयी है।

केंद्र सरकार मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के जरिये जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जैविक खेती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि PKVY के अंतर्गत तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से किसानों को आदानों (जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, वर्मी कम्पोस्ट, वनस्पतिक अर्क आदि) के उत्पादन/खरीद, फसलोपरांत अवसंरचना आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से 31,000 रुपये (61 फीसदी) की वित्तीय सहायता की जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत किसानों को ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक आदानों के उत्पादन/खरीद के लिए तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की वित्तीय सहायता की जाती है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जैव उर्वरक (राइजोबियम/पीएसबी-फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया) के संवर्धन के लिए प्रति हेक्टेयर 300 रुपये की लागत सीमा के 50 फीसदी की दर से वित्तीय सहायता की जाती है।

वर्ल्ड ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादकों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व के करीब 27 लाख जैविक उत्पादकों में 30 फीसदी यानी 8.35 लाख उत्पादक भारत में हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत की कुल कृषि में जैविक खेती की साझेदारी मात्र 0.8 फीसदी ही है। भारत में जैविक खेती की दिशा में किए जा रहे कामों को लेकर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं, 'अभी इसके संक्रमण में समय लगेगा क्योंकि इसके लिए रिसर्च और नीतियों की जरूरत है। इसकी तरफ संयुक्त राष्ट्र का भी जोर है। भारत में भी कोशिशें जारी हैं। किसानों के पास विकल्प नहीं हैं। उन्हें प्रमाण दिखाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से आधा-अधूरा खेल चल रहा है। इसको लेकर जो प्रयास होना चाहिए, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है। एक माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर भी जैविक उत्पादों की मांग कर रहे हैं।'

केंद्र या राज्य सरकारें जैविक खेती को लेकर जितना प्रचार कर रही है, वो जमीन पर नजर नहीं आता है। केंद्र सरकार जैविक खेती की बात आने पर सिक्किम का उदाहरण जरूर देती है। लेकिन सिक्किम की पूर्व सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ रासायनिक खेती पर नियमन भी लागू किया था। बाद में रासायनिक खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए वहां कड़े कानून भी बनाए गए। दूसरी ओर, जो गलत और अपोषणीय प्रैक्टिस है उसे रोकने की भी जरूरत है। अगर हम सिक्किम का उदाहरण लें, तो वहां एक तरफ जैविक खेती की कार्यप्रणाली का प्रचार होता है और दूसरी तरफ रासायनिक खेती पर रेगुलेशन भी काम करता है।

जैविक खेती की मौजूदा चुनौतियों को लेकर अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर की संयोजक कविता कुरुगंती कहती हैं, 'इसके लिए किसानों को संगठित करने की जरूरत है। जो भी जैविक खेती का कार्यक्रम आता है, वो अगर 3-4 साल के लिए आता है तो वो कुछ किसानों को ही साथ लाकर प्रैक्टिस करता है। कृषि विभाग के लोग एक ही गांव में जाकर कुछ किसानों को जैविक खेती अपनाने को कहते हैं और कई किसानों को रासायनिक खेती के लिए भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर दूसरा ढांचा ही चलता है। ये नहीं चलेगा।'

वो कहती हैं, 'दूसरी चीज यह है कि आपने अपने कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि शिक्षा में बदलाव लाया है कि नहीं। क्या आज भी कृषि वैज्ञानिक किताबों में अमेरिका की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं या यहां की स्थिति को पढ़ रहे हैं। अगर ये ढांचागत बदलाव नहीं होता है तो सिर्फ स्कीम लाकर क्या होगा?'

कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं, 'अभी इसके संक्रमण में समय लगेगा क्योंकि इसके लिए रिसर्च और नीतियों की जरूरत है। इसकी तरफ संयुक्त राष्ट्र का भी जोर है। भारत में भी कोशिशें जारी हैं। किसानों के पास विकल्प नहीं हैं। उन्हें प्रमाण दिखाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से आधा-अधूरा खेल चल रहा है। इसको लेकर जो प्रयास होना चाहिए, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है। एक माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर भी जैविक उत्पादों की मांग कर रहे हैं।'

एक तो देश में कृषि शिक्षा पहले से हाशिये पर है और किसानी की जरूरत से काफी दूर नजर आती है। उसमें भी जैविक खेती की दिशा में ज्यादा प्रयास विश्वविद्यालयों के अनुसंधान में शामिल नहीं है। ये सच है कि

सरकार जैविक खेती को लेकर विरोधाभास में नजर आती है। एक तरफ प्राकृतिक खेती को लेकर प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ यूरिया पर सब्सिडी की बड़ी रकम भी जारी करती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी इस पर हावी है।

इस पर कविता कहती हैं, 'यहां पर (जैविक खेती) आप पूरे देश के लिए 250-300 करोड़ रुपये की स्कीम चला रहे हैं और फर्टिलाइजर पर 80,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी दे रहे हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसको लेकर आपकी राजनीतिक इच्छाशक्ति कितनी है, आपने इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रोग्राम को डिजाइन किया है या नहीं, क्या 3-4 साल स्कीम चलाकर भाग जाते हैं, क्या आपकी कृषि नीतियां रसायनों और जीएम फसलों को बढ़ावा दे रही हैं या प्राकृतिक खेती को प्रोमोट कर रही हैं। ये सब पर निर्भर करता है।' PKVY के कार्यान्वयन को लेकर 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिपुरा, ओडिशा और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने फंड का 50 फीसदी भी खर्च नहीं किया। जबकि केंद्र सरकार ने इसी साल के लिए योजना में आवंटन की राशि 44 फीसदी बढ़ा दी थी।

देविंदर शर्मा भी कहते हैं, 'किसान के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, कंज्यूमर के लिए, सबके लिए जैविक खेती ही फायदेमंद होगी। अभी जितने राष्ट्रीय और स्थानीय प्रमाण मौजूद हैं, उससे यही पता चलता है कि नीतियों पर जोर देने की जरूरत है। राज्य सरकारों और केंद्र को भी अपनी मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी पड़ेगी।'

शुरू में बिहार के केड़िया गांव के शत-प्रतिशत जैविक होने की अधूरी सच्चाई का जिक्र किया था। केड़िया के 'जीवित माटी किसान समिति' नामक संगठन का दावा है कि गांव में सभी किसान जैविक खेती करते हैं। सच यह है कि गांव के कई किसान अब भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं, लेकिन कई किसान जैविक खाद के साथ यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। जिन किसानों के पास मवेशी नहीं हैं या कम हैं, वे खुद से वर्मी कम्पोस्ट बनाने में सक्षम नहीं हैं। गांव के 15-20 किसानों से बातचीत करने पर पता चला कि सरकार ने 'जैविक गांव' घोषित करने में जल्दबाजी की है। जिन किसानों से बात हुई, उनके घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। लेकिन सरकारी दावा ठीक इन सबके उलट है।

कई राज्य अभी तक जैविक खेती को अपनी प्राथमिकता में ही नहीं ला पाये हैं। कुछ राज्य इसे प्रदर्शनी के तौर पर ही देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती ही विकल्प है। ग्रीनपीस इंडिया के द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार, 69.7 फीसदी किसानों ने बताया कि उनके पास कीटनाशकों और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब किसानों से पूछा गया कि वे पर्यावरणीय खादों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो 72.9 फीसदी किसानों ने इसकी अनुपलब्धता को कारण बताया। पंजाब में खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त कहते हैं कि पंजाब सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वैसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार के एजेंडे में अभी जैविक खेती है ही नहीं। 'सरकारी प्रचार-प्रसार सेवा जैविक खेती को लेकर प्रशिक्षित ही नहीं हैं। कृषि विकास केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय रसायन को ही प्रोमोट कर रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जो किसानी के कार्यक्रम होते हैं उनका झुकाव भी केमिकल की ओर है। हम पंजाब में अपने संगठन की तरफ से कुछ जगहों पर जैविक खेती अपनाने के लिए मदद कर रहे हैं', दत्त कहते हैं। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जैविक खेती के लिए योजना बनाने के साथ कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ाया जाये। साथ ही कृषि अधिकारियों को जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, वर्मी कम्पोस्ट बेड आदि उपलब्ध कराने के लिए और प्रत्यक्ष रूप से किसानों की मदद के लिए जमीन पर भेजने की आवश्यकता है। साथ ही हरित क्रांति की तरह ही देश में एक व्यापक जैविक क्रांति का माहौल बनाने की सख्त जरूरत है।

(Source: www. indiawaterportal.org)

जैविक खेती की मौजूदा चुनौतियों को लेकर अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर की संयोजक कविता कुरुगंती कहती हैं, 'इसके लिए किसानों को संगठित करने की जरूरत है। जो भी जैविक खेती का कार्यक्रम आता है, वो अगर 3-4 साल के लिए आता है तो वो कुछ किसानों को ही साथ लाकर प्रैक्टिस करता है। कृषि विभाग के लोग एक ही गांव में जाकर कुछ किसानों को जैविक खेती अपनाने को कहते हैं और कई किसानों को रासायनिक खेती के लिए भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर दूसरा ढांचा ही चलता है। ये नहीं चलेगा।'

कृषि मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2019

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत (पीएम-केएमवाई)

प्रधानमंत्री द्वारा 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई पीएम-केएमवाई योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। इसके लिए किसान की ओर से मासिक योगदान 55 से 200 रुपये के बीच रखा गया है। केंद्र सरकार पेंशन योजना में अपनी ओर से समान राशि का योगदान करती है। इस योजना के तहत अब तक 19,19,802 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (फरवरी 2020 के आम बजट में इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है) तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे डाले जाने की व्यवस्था है। योजना की शुरुआत में इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, देने की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने बाद में इसमें बदलाव किया और 1 अप्रैल 2019 से यह व्यवस्था की कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाएगा, चाहे उनकी जमीन कितनी भी हो। किसानों को स्वयं पंजीकरण कराने के लिए 'किसान कॉर्नर' लिंक के माध्यम से पीएम-किसान वेब-पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर एक नई सुविधा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

भारतीय कृषि में बड़े बदलाव के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। समिति की दो बैठकें 18 जुलाई 2019 और 16 अगस्त 2019 को हुई। इन बैठकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट को बेहतर बनाने पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

ई-नैम : एक राष्ट्र एक बाजार

ई-नैम के तहत देश की 421 नई मंडियों को मंजूरी दी गई है। इन्हें एफपीओ ई-नैम पोर्टल पर भी डाला जाने लगा है ताकि वे अपने उत्पादों को सभी के लिए प्रदर्शित कर सकें। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में स्थित सीडब्ल्यूसी के 23 गोदामों को कृषि उपज और पशुधन विपणन (एपीएलएम) अधिनियम के तहत डीम्ड मार्केट घोषित किया गया है, जो ई-नैम पोर्टल पर इन गोदामों के माध्यम से भविष्य में व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।

फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा

केंद्र सरकार ने 2019-20 के खरीफ मौसम में खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। धान का न्यूनतम समर्थम मूल्य 65 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार का 20 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 50 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का 253 प्रति क्विंटल और मक्का का 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। तुअर, मूंग और उड़द दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 125, 75 और 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। मूंगफली का 200 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी का 262 रुपये प्रति क्विंटल, नाइजरसीड 63 रुपये प्रति क्विंटल, मीडियम स्टेपल कपास 105 रुपये प्रति क्विंटल, लांग रैपल कपास 100 रुपये प्रति क्विंटल, सोयबीन (पीली) 311 रुपये प्रति क्विंटल और तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 236 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया।

सरकार ने रबी के मौसम 2020-21 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। गेहूं और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 85 रुपये से 255 रुपये प्रति क्विंटल, दालों में 325 रुपये प्रति क्विंटल, तोरिया और सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम में 270 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की।

अन्य पहल और उपलब्धियां

पोषणयुक्त गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 25 बीज केंद्र को मंजूरी दी गई है और इनके लिए 723.00 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

चालू वर्ष (2019-20) के दौरान आदर्श ग्राम परियोजना के तहत किसानों को 12.40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

खेती में कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए 1,44,113 मशीन और उपकरण वितरित किए गए। इनके लिए चालू वर्ष (2019-20) के दौरान 2300 ऐसे केंद्र बनाए गए जहां से किसान कृषि उपकरण किराये पर ले सकते हैं। 2019-20 के दौरान 32,808 कृषि मशीनें वितरित की गई हैं और 8662 कस्टम हायरिंग केंद्रों को फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया।

सीएचसी-फॉर्म मशीनरी के नाम से बहुभाषी मोबाइल एप शुरु किया गया जो किसानों को उनके क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सर्विस केन्द्रों के माध्यम से किराए पर कृषि मशीनरी और उपकरण प्राप्त करने में मदद करता है। अभी तक 1,12,505 किसान इस मोबाइल एप पर पंजीकृत हो चुके हैं।

चालू वर्ष (2019-20) के दौरान 73,658 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी फसलों के दायरे में लाया गया और 59 नर्सरियां स्थापित की गयीं। ●

खेती को लाभकारी बनाने का समय

विभिन्न राज्यों से निरंतर आती रही खबरों से स्पष्ट है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नसीब नहीं हो रहा है। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग भी स्वीकार चुके हैं कि अधिकांश किसान घोषित एमएसपी तक से वंचित रह जाते हैं।

■ केसी त्यागी

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान करने पर विचार करने को कहा गया है। अदालत की इस टिप्पणी से एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। न्यायालय ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने संबंधी निर्देश भी राज्य सरकार को दिया है, ताकि किसान अपने अनाज को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर न रहें। भंडारण क्षमता के अभाव में करीब 20 फीसद खाद्यान्न सड़-गल जाते हैं। हालांकि यह पहला अवसर नहीं जब एमएसपी न मिलने तथा इनसे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की हो। समय-समय पर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कृषि और ग्रामीण दुर्दशा की ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। दुर्भाग्यवश समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदलते।

विभिन्न राज्यों से निरंतर आती रही खबरों से स्पष्ट है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नसीब नहीं हो रहा है। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग भी स्वीकार चुके हैं कि अधिकांश किसान घोषित एमएसपी तक से वंचित रह जाते हैं। कृषि उत्पादों के दाम तय करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा लागत मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। इसकी मुख्य वजह है लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। पिछले बजट में केंद्र सरकार द्वारा फसलों के दाम डेढ़ गुना किए जाने का वादा जरूर निभाया गया है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जिसमें सी-2 फॉर्मूले के तहत लागत मूल्य निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गई थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मौजूदा लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में ए2-एफएल को आधार बनाकर फसलों की लागत मूल्य के अनुपात में एमएसपी बढ़ाया गया है, जबकि सी-2 प्रणाली को आधार मानकर लागत के अतिरिक्त 50 फीसद का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान संगठनों की मांग रही है। प्रक्रिया ए2-एफएल के तहत खेती में प्रयुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मशीनों का किराया तथा पारिवारिक श्रम शामिल होते हैं, जबकि 'व्यापक लागत' यानी सी-2 व्यवस्था के तहत अन्य लागतों

के साथ स्वयं की भूमि का किराया भी शामिल किया जाता है जो ए2-एफएल से अधिक व्यापक होता है। इस प्रक्रिया के तहत लागत मूल्य निर्धारण करने से किसानों को मिलने वाले दाम और मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले दाम में बड़ा अंतर है। यही कारण है कि किसान लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं।

चूंकि किसानों से फसल खरीदने के लिए एक मूल्य नीति की आवश्यकता थी, इस दिशा में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई जो आज सीएसीपी के रूप में मौजूद है और मुख्य रूप से कृषि उत्पादों का दाम निर्धारित करता है। मूल्य समर्थन नीति के बाद ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकारी गारंटी मिल पाई, लेकिन लागत मूल्य के सही आकलन और सबको एमएसपी मिले, इसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के कारण इसकी सार्थकता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। शांता कुमार की रिपोर्ट में वर्षो पहले यह बात कही जा चुकी है कि सरकार को अपनी एमएसपी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। इसी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि देश के मात्र छह फीसद किसान ही किसी खरीद एजेंसी को अपना धान एवं गेहूं बेचकर एमएसपी से लाभान्वित हो पाते हैं। मौजूदा स्थिति में एमएसपी को लेकर इतना शोरगुल इसीलिए है, क्योंकि किसानों को एमएसपी के आसपास की कीमत भी नहीं मिल पा रही। इस दिशा में जरूरत है कि सरकार भंडारण एवं वेयरहाउसिंग की सुविधा को दुरुस्त करने के साथ एफसीआइ के कामकाज के तरीके को भी सुदृढ़ करने पर जोर दे।

समझना होगा कि कृषि सामग्री समेत उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसके समानुपातिक कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाई है। वर्ष 1994 से 2014 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्टील, सीमेंट, कपड़े, आवासीय व्यय, खाद्य पदार्थो, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी लगभग 300 प्रतिशत तक का इजाफा देखा गया है। रासायनिक खादों के दाम 300 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये तक हो गए हैं, कीटनाशकों की कीमत में भी लगभग चार से पांच गुना तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादों की कीमतों में औसतन 75 से 80 फीसद तक की ही बढ़ोतरी हो पाई है। यह बढ़ती महंगाई के समानांतर नाकाफी है। इस सूरत में ग्रामीण संरचना कमजोर होती जा रही है। प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि खेती के दायरे से घटती जा रही है। किसान बहुत तेजी से मजदूर बनते जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 86 प्रतिशत भू-मालिक किसान और लगभग 80 फीसद मजदूर किसान कर्ज में डूबे हैं। आत्महत्याओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में कृषि उद्योग की लाभकारी परिकल्पना के तहत खेतिहरों को संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार की सहायता राशि उत्साहवर्धक है। सीधे कृषकों के खाते में जाने से किसान लाभान्वित हुए हैं। ऐसा ही कुछ बीमा योजना के संबंध में भी किए जाने की जरूरत है। गत वर्ष एक निजी बीमा कंपनी द्वारा महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले से लगभग 143 करोड़ रुपये की कमाई की खबर सुर्खियों में रही थी। ऐसी बीमा सुविधाएं किसानों के लिए हितकारी कैसे हो सकती हैं? सख्त निगरानी में फसलों की क्षति का सही मूल्यांकन न हो पाने से बीमा किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है।

राहत की बात है कि बीते पांच वर्षो में किसानों से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे हैं। इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ, लेकिन लंबे समय से कृषि जगत के प्रति बरती गई उदासीनता पर विराम लगाने के लिए खेती-किसानी में उत्साह भरने की इस समय सख्त जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकारों की मनोवृत्ति और रवैया इस सरकार में नहीं दिखना चाहिए, ऐसी किसानों की अपेक्षाएं हैं।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

(स्रोत: दैनिक जागरण)

ADARSH HOSPITAL

(A unit of Adarsh Karam Singh Memorial Hospital Pvt. Ltd.)

Pathology with free home collection facility
Pharmacy with home delivery facility

OPD – CLINICS :

Internal Medicine ● Orthopedics
Obstetrics & Gynecology ● Ophthalmology (Eye)
ENT (Ear, Nose, Throat) ● Dental Surgery
Pediatrics ● Cardiology
General Surgery ● Dermatology

FOR APPOINTMENT CALL
Ph.: 011-29545513, 65072622

Dr. Rohit Chauhan - 9818317381
Dr. Tanvi Chauhan - 7249926999

B-81/A, Panchsheel Vihar, New Delhi-110017

NEW INDIA ASSOCIATES

Life Insurance/LIC Credit Card
Car/Home Insurance
● Mediclaim
Property Sale, Purchase & Renting
at Delhi/NCR

LIC LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY

Narendra Singh Bisht
48, Hasanpur, I.P. Extension, Delhi-110092
Phone: 011-49404552, 22240184
Mobile: 9810369331, 9717494411
E-mail: anjal2006@gmail.com

सदियों से चली आ रही है कपास की खेती

कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। यहां आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। भारत में इसका इतिहास काफी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। कपास उनके प्रमुख उत्पादनों में से एक था। भारत से ही 327 ई.पू. के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत से ही यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले जाया गया।

कपास एक नकदी फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है। भारत में कपास को 'सफेद सोना' भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाले कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं, जिसकी लम्बाई 5 सें.मी. से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण इसे 'समुद्र द्वीपीय कपास' भी कहते हैं। मध्य रेशे वाला कपास, जिसकी लम्बाई 3.5 से 5 सें.मी. तक होती है, 'मिश्रित कपास' कहलाता है। तीसरे प्रकार का कपास छोटे रेशे वाला होता है, जिसके रेशे की लम्बाई 3.5 सें.मी. तक होती है।

इतिहास

कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। यहां आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। भारत में इसका इतिहास काफी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। कपास उनके प्रमुख उत्पादनों में से एक था। भारत से ही 327 ई.पू. के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत से ही यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले जाया गया। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 150 लाख मीट्रिक टन कपास पैदा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, मिस्र, सूडान आदि कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं।

तापमान

कपास के पौधे के लिए उच्च तापमान, साधारणत: 20^0 सेंटीग्रेट से 30^0 सेंटीग्रेट तक की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु यह 40^0 सेंटीग्रेट तक की गर्मी में भी पैदा किया सकता है। पाला अथवा ओला इसकी फसल के लिए घातक है। अत: इस पौधे के विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित ऋतु चाहिए। डोडी खिलने के समय स्वच्छ

आकाश, तेल और चमकदार धूप का होना आवश्यक है, जिससे रेशे में पर्याप्त चमक आ सके और डोडिया पूरी तरह खिल सकें। समुद्री पवनों के प्रभाव में उगने वाली कपास का रेशा लंबा और चमकदार होता है।

वर्षा

कपास के लिए साधारणत: 50 से 100 से.मी. तक की वर्षा पर्याप्त होती है। यह मात्रा थोड़े-थोड़े दिनों के अंतर से प्राप्त होनी चाहिए। 100 से.मी. से अधिक वर्षा वाले भागों में इसकी खेती नहीं हो सकती। जहां वर्षा कम होती है, वहां सिंचाई के सहारे कपास पैदा की जाती है। शुष्क प्रदेशों में कीड़ा कम लगने के कारण ही सिंचित क्षेत्रों में कपास अधिक पैदा की जाती है।

भारत में कपास दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ ही बोयी जाती है, जबकि सिंचाई पर आश्रित कपास एक-दो महीने पूर्व ही बोयी जाती है। देश में 49 प्रतिशत कपास सिंचित क्षेत्रों में पैदा की जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य के दक्षिणी भाग में कपास जून से अगस्त के अंत तक बोयी जाती है और चुनाई जनवरी से अप्रैल तक की जाती है। तमिलनाडु में इसको बोना दोनों ही मानसूनों के अनुसार होता है। दक्षिणी प्रायद्वीप के बाहर यह मार्च से जुलाई तक बोयी जाती है और अक्टूबर से जनवरी तक इसकी चुनाई होती है। कपास भारत की सामान्यत: खरीफ की फसल है।

मिट्टी

कपास का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, किन्तु आर्द्रतापूर्ण दक्षिणी भारत की चिकनी और काली मिट्टी अधिक लाभप्रद मानी जाती है। सामान्यत: भारत में कपास तीन प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जाती है-

- भारी काली दोमट मिट्टी, जो गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों में मिलती है। यह सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र भरुच, अहमदाबाद तथा खानदेश जिलों में फैला है।
- लाल और काली चट्टानी मिट्टी, जो दक्कन, बरार और मालवा के पठार पर फैली है।
- सतलुज और गंगा के हल्की कछारी मिट्टी के क्षेत्र में। दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे 'रेगुर मिट्टी' के नाम से भी जाना जाता है।

श्रम

कपास की खेती में बोने, निराने और डीडियां चुनने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। ज्यों ही पौधे पर डोडे निकलकर बड़े होने लगें त्यों ही उनको चुन लेना आवश्यक होता है अन्यथा वह खराब होकर गिरने लगते हैं और कपास की किस्म बिगड़ जाती है। खेत में ही कपास की फसल 3-4 बार में इकट्ठी की जाती है। इसका फूल अधिकतर स्त्रियों द्वारा ही चुना जाता है। दिन भर में एक श्रमिक 15 से 20 किलोग्राम तक कपास चुन सकता है। इसकी कृषि के लिए दक्षिण भारत की जलवायु उत्तरी भारत की अपेक्षा अनुकूल है, क्योंकि यहां जाड़े में भी तापमान ऊंचा रहता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में कोहरा, बादल, वर्षा व ओले के प्रभाव एवं कभी-कभी पाले से फसल को क्षति पहुंचती है। इसकी डोडियों में कीड़ा लग सकता है।

कृषि

भारत में कपास के साथ कई अन्य फसलें भी बोयी जाती हैं। इसके साथ सबसे अधिक मूंगफली बोते हैं। पंजाब में अमेरिकन और देशी कपास मिलाकर बोते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे मेथी, मूंगी, बरसीम, तोरिया, क्लोवर आदि फसलों के साथ बोते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसके साथ ज्वार बोया जाता है। लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास के साथ अरंडी, तिल, ज्वार या बाजरा बोया जाता है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कपास और मक्का तथा गुजरात में कपास और अरंडी तथा धान और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कपास और मूंगफली तथा रागी साथ-साथ बोए जाते हैं। उत्तरी भारत में कपास का पौधा तैयार होने में 6 महीने लग जाते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में 8 महीने तक लगते हैं।

उत्पादन

संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां विश्व का लगभग 22 प्रतिशत कपास पैदा किया जाता है। चीन में विश्व का 17 प्रतिशत कपास का उत्पादन किया जाता है। चीन में यांग्टसी नदी की निचली घाटी तथा ह्वांग-हो नदी का ऊपरी डेल्टा प्रमुख कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में 8 प्रतिशत कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन के प्रमुख राज्यों में क्रमश: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। अन्य उत्पादक देशों में ब्राजील का साओपोलो क्षेत्र, मिस्र का नील डेल्टा, सूडान का जजीरा व सफेद नील की घाटी तथा पाकिस्तान आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

कपास की किस्म

व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में मुख्यत: 14 किस्मों की कपास पैदा की जाती है। इनकी अच्छाई या बुराई, उनकी मजबूती, धागे, सूक्ष्मता, रंग, चमक और मोटाई की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। ये किस्में इस प्रकार हैं- बंगाल, अमरीकन, धौलेरा, उमरा, भड़ौच, सूरती, कम्पना, कंबोडिया, जयवंत, कोमिल, दक्षिणी झेलम, मद्रास-यूगेंडा और तिरुनलवेली।

रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास तीन

प्रकार की होती है-

● छोटे रेशे वाली कपास - इसका धागा 19 मिमी. से कम होता है। इसकी मुख्य किस्में चिन्नापथी, मुगरा, उमरा, कोमिला, उत्तर प्रदेश देशी, पंजाब देशी, राजस्थान देशी तथा मेथिओं है। इसका उत्पादन अधिकतर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मेघालय में किया जाता है। कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत इसी प्रकार की कपास का होता है।

● मध्यम रेशे वाली कपास - इसका धागा 20 मिमी. से 24 मिमी. तक लंबा होता है। इसकी मुख्य किस्में प्रभानी, गोरानी, पंजाब, अमेरिकन, दिग्विजय, विजल्प, संजय, इन्दौर-2, बूडी एल-147, खानदेश, गिरनार जयधर, काकीनाडा, कल्याण, उत्तरी, जरीला, बीरम, मालवी, राजस्थान अमरीकन हैं। कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत इस प्रकार की कपास का होता है।

● लंबे रेशे वाली कपास - इसका धागा 24.5 मिमी. से 27 मिमी. तक लंबा होता है। इसकी मुख्य किस्में गुजरात, देवीराज, समुद्री कपास, बदनावार-1, मद्रास, कंबोडिया, सुजाता, बूडी और लक्ष्मी हैं। कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत इस किस्म का होता है।

भारत में उत्पादक क्षेत्र

भारत में कपास की खेती का क्षेत्र अत्यन्त बिखरा हुआ है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और उत्पादन की दशाएं पायी जाती हैं। अत: प्रत्येक क्षेत्र की कपास अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है और उस क्षेत्र की अवस्थाओं के अनुरूप होती है। कपास के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण की काली मिट्टी का प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर देश के उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत कपास उत्पन्न करते हैं। देश का लगभग 60 प्रतिशत कपास उत्पादन केवल तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है। अन्य मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं।

गुजरात में कुल क्षेत्र का 21.7 प्रतिशत तथा उत्पादन का 31.9 प्रतिशत मिलता है। कपास उत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य का देश में पहला स्थान है। समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर मुख्यत: तीन क्षेत्रों में कपास पैदा की जाती है। अधिकतर उत्पादन वर्षा के सहारे ही होता है। इस राज्य में छोटे व मध्यम रेशे वाली देशी कपास पैदा की जाती है-

भारत में कपास की खेती का क्षेत्र अत्यन्त बिखरा हुआ है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और उत्पादन की दशाएं पायी जाती हैं। अत: प्रत्येक क्षेत्र की कपास अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण की काली मिट्टी का प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है।

- उत्तरी गुजरात के अहमदाबाद, मेहसाना और बनासकोटा जिलों में साबरमती नदी के पार सौराष्ट्र और उत्तरी तथा कच्छ में धौलेरा और बागड़ किस्म की कपास पैदा की जाती है। अमरेली, अहमदाबाद तथा दक्षिण ाी सौराष्ट्र में घटिया किस्म की कपास पैदा होती है।
- मध्य गुजरात के भरुच, बड़ोदरा, खेड़ा, गोहिलवाड़, पंचमहल, साबरकांठा जिले में भरौंच कपास पैदा की जाती है।
- दक्षिणी गुजरात के सूरत और पश्चिमी खानदेश जिलों में सूरती, नवसारी तथा अमरीकन किस्में पैदा की जाती है।
- गुजरात में माही और नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्रों में सबसे अधिक कपास पैदा की जाती है।

महाराष्ट्र कपास के उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख है। यहां कुल क्षेत्र का 31 प्रतिशत पाया जाता है, जबकि कुल उत्पादन का 21.7 प्रतिशत होता है, अर्थात् उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का देश में दूसरा स्थान है। यहां कपास जून से अगस्त तक बोयी जाती है और दिसंबर-जनवरी तक चुन ली जाती है। यहां कपास का उत्पादन कई क्षेत्रों में किया जाता है-

- अंकोला और अमरावती जिलों में ऊमरा और कंबोडिया कपास बोयी जाती है।
- यवतमाल जिले में पूसद, दरवाहा ताल्लुको में ऊमरा और कम्बोडिया कपास होती है।
- बुलढाना जिले के मल्कपुर, महकार, खामगांव और जलगांव ताल्लुकों में ऊमरा और कंबोडिया कपास पैदा की जाती है। इन सब जिलों में कपास वर्षा के सहारे पैदा की जाती है।
- नागपुर, वर्धा, चन्द्रपुर और छिन्दवाड़ा जिलों में कंबोडिया कपास वर्षा के सहारे ही पैदा की जाती है।
- सांगली, बीजापुर, नासिक, अहमदनगर, गोलापुर, पुणे तथा प्रभानी अन्य उत्पादक जिले हैं, यहां ऊमरा और खानदेशी कपास होती है। इस राज्य में 43 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है।

मध्य प्रदेश में जून में बुवाई की जाती है और नवंबर से फरवरी तक चुनाई की जाती है। यहां मालावाड़ के पठार एवं नर्मदा और तापी की घाटियों में काली और कछारी मिट्टियों में इसका उत्पादन किया जाता है। पश्चिम नीमाड़, इन्दौर, रायपुर, धार, देवास, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर जिलों में ऊमरा, जरीला, बिरनार, मालवी और इन्दौरी कपास बोयी जाती है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है।

राजस्थान में गंग नहर क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पंजाब-देशी और पंजाब-अमरीकन, झालावाड़, कोटा, टोंक, बूंदी जिलों में मालवी कपास तथा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और अजमेर जिलों में राजस्थान देशी और अमरीकन कपास बोयी जाती हैं। इस राज्य में 6 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है।

पंजाब में कपास की बुवाई मार्च से अगस्त तक और चुनाई जनवरी तक की जाती है। अधिकतर उत्पादन सिंचाई के सहारे किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और भटिंडा हैं। इनमें अधिकतर पंजाब-अमरीकन कपास पैदा की जाती है, यहां पर वर्तमान में 24 लाख गांठ का उत्पादन होता है।

हरियाणा में भी पंजाब के समान सिंचाई के सहारे ही कपास उत्पन्न की जाती है। गुड़गांव, करनाल, हिसार, जीन्द, अंबाला और रोहतक प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। यहां पंजाब अमेरीकन और पंजाब-देशी कपास बोयी जाती

है। इस राज्य में 8 से 10 लाख गांठ का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है।

उत्तर प्रदेश में कपास मुख्य रूप से गंगा और यमुना के दोआब तथा रुहेलखंड और बुंदेलखण्ड संभागों में सिंचाई के सहारे छोटे रेशे वाली पैदा की जाती है। अब लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन भी किया जाने लगा है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, एटा, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मथुरा, मैनपुरी और फर्रूखाबाद प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहां देशी और पंजाब-अमेरिकन कपास पैदा की जाती है।

तमिलनाडु में कपास दोनों ही मानसून कालों में किसी न किसी क्षेत्र में बोयी जाती है। यहां अधिकतर कंबोडिया, यूगेंडा, मद्रास-यूगेंडा, सुजाता, सलेम, तिरुचिरापल्ली, लक्ष्मी, कारूंगानी किस्म की कपास पैदा की जाती है। यह सारा उत्पादन काली मिट्टी के क्षेत्रों में किया जाता है। कपास उत्पादक प्रमुख जिले कोयम्बटूर, सलेम, रामनाथपुरम, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, चिंगलपुट, तिरुनलवैली व तंजावूर हैं।

आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन गुण्टूर, कडप्पा, कुर्नूल, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, महबूबनगर, आदिलाबाद और अनंतपुर जिलों में किया जाता है। यहां मुख्यत: मुगारी, चिरनार, कम्पटा, काकीनाड़ा, सभानी-अमरीकन, लक्ष्मी, समुद्री किस्म बोयी जाती है। भारत में आंध्र प्रदेश तीसरा कपास उत्पादक राज्य है। कपास के कुल उत्पादन का 13.49 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है।

कर्नाटक में कुल क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत और उत्पादन का 5.3 प्रतिशत प्राप्त होता है। यहां दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र काली मिट्टी का है, जिसे 'सलाहट्टी क्षेत्र' कहते हैं। इसके अंतर्गत वेल्लारी, हसन, शिवामोग्गा, चिकमंगलुरु, रायचूर, गुलबर्गी, धारवाड़, बीजापुर और चित्रदुर्ग जिलों में वर्षा के सहारे अधिकतर देशी कपास पैदा की जाती है। दूसरा क्षेत्र लाल मिट्टी का है, जिसे 'दोड़ाहट्टी' कहते हैं। इसमें वर्षा और सिंचाई दोनों के सहारे पंजाब अमरीकन कपास बोयी जाती है।

अन्य उत्पादक राज्य

अन्य उत्पादक राज्यों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम व मेघालय प्रमुख हैं, जहां कहीं-कहीं कपास पैदा की जाती है। खासी, जयंतिया, सिकिर, लुशाई, नागा और

कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ऐसा प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाकर एवं सिंचित क्षेत्रों में इसकी कृषि की नवीन तकनीक को अपनाकर विस्तार किया जा सकता है, अन्यथा बढ़ता हुआ आयात भारत की विदेशी मुद्रा को भी कुप्रभावित करेगा।

गारो पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेतों में वनों को जलाकर साफ की गयी भूमि में कपास पैदा की जाती है। बिहार में सारण, चम्पारण, संथाल परगना, मुजफ्फरपुर, झारखंड में हजारीबाग और रांची जिलों में तथा उड़ीसा में धेनकनाल, कटक, सुंदरगढ़ और कोरापुट जिलों में तथा पश्चिम बंगाल में चौबीस परगना और मुर्शिदाबाद जिलों में कपास पैदा की जाती है।

व्यापार

देश के विभाजन के पूर्व कपास पैदा करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था और यहां से काफी मात्रा में कपास का निर्यात किया जाता था। वर्तमान में भारत लंबे रेशे की चमकीली व उत्तम कपास का आयात करता है एवं छोटे रेशे की कपास का निर्यात अच्छे देशों में करता हे। भारत की छोटे रेशे वाली खुरदरी कपास की मांग संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में अब भी रहती है। यहां पर ऊन के साथ मिलाकर मोटे कंबल व मोटे वस्त्र बनाये जाते रहे हैं। थोड़ी मात्रा में रुई का निर्यात यूरोपीय साझा बाजार के देशों तथा न्यूजीलैंड को भी किया जाता है। लंबे रेशे वाली रुई का आयात पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमरीका, पेरू आदि देशों से किया जाता है। 1970-1971 में 14 करोड़ रुपये और 2008-2009 में 2,866 करोड़ रुपये के मूल्य की कपास का निर्यात भारत से किया गया। वर्ष 2008-2009 में देश में कुल 713 करोड़ रुपये मूल्य की लंबे रेशे वाली कपास का आयात हुआ।

कपास के कुल उत्पादन में गन्ना एवं सरसों की भांति तेजी से उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ऐसा प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाकर एवं सिंचित क्षेत्रों में इसकी कृषि की नवीन तकनीक को अपनाकर विस्तार किया जा सकता है, अन्यथा बढ़ता हुआ आयात भारत की विदेशी मुद्रा को भी कुप्रभावित करेगा। वैसे नवीन तकनीक, उपचारित बीज, जैव तकनीक एवं सिंचित कृषि के द्वारा नरमा कपास व अन्य उन्नत किस्मों का उत्पादन औसत से तीन से चार गुना 800 से 900 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है।

निर्यातक देश

संयुक्त राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान, यूक्रेन, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, ब्राजील, पेरू, मैक्सिको, तुर्की, भारत, सीरिया, कोलम्बिया आदि।

आयातक देश

कपास के आयातक देशों में जापान (15 प्रतिशत), कोरिया (8 प्रतिशत), चीन (7 प्रतिशत), इटली (6 प्रतिशत), जर्मनी (5 प्रतिशत), फ्रांस (4 प्रतिशत), पोलैंड (3 प्रतिशत), स्लोवाकिया, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, भारत आदि हैं।

(Source: www.bharatdiscovery.org)

आवश्यक सूचना

चीन के वुहान से शुरू होने वाले और अब दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। चीन समेत दुनिया भर में 18 मार्च तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 8000 के पार पहुंच गया है।

डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए कच्चे मांस के सेवन से परहेज करें। हाथों को बार-बार धोते रहें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर कपड़ा या हाथ रखें। जो लोग छींक रहे हों, उनसे दूरी बनाकर रखें। लोगों को बार-बार अपने चेहरे, नाक और आंखों को छूने से बचना चाहिए। लोगों को एक-दूसरे से दूर रहने, घर से ही काम करने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं बढ़ाने की सलाह दी गयी है।

सर्पगंधा

सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई या दोमट, काली-कपासीय मिट्टी (पीएच 6-8.5) जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, साथ ही जीवांश की प्रचुर मात्रा हो, ज्यादा उपयुक्त होती है। पौधा गर्म और नम जलवायु में अच्छा पनपता है। परंतु यह पौधा 100 से 450 तक के तापमान एवं 205-500 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

सर्पगंधा बहुवर्षीय फसल है लेकिन इसकी फसल अवधि कृषिकरण की दृष्टि से 18 माह उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस अवधि में पौधों की जड़ों में ऐल्केलाइड की सही और उपयुक्त मात्रा विकसित हो जाती है। सर्पगंधा के पौध रोपण के लिए जुलाई-अगस्त माह का समय उपयुक्त होता है। अच्छी उपज के लिए पौध से पौध की दूरी 30 सेमी उपयुक्त मानी जाती है। यदि पौधों की दूरी 30 गुणा 30 सेमी रखी जाए तो प्रति नाली 2200 पौधे तथा 1,10,000 पौधे प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है।

सर्पगंधा की गर्मी के मौसम में 20 दिन के अंतराल पर जबकि शीतकाल में 30 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करनी चाहिए। सर्पगंधा की उन्नत फसल के लिए पहले वर्ष लगभग 3-4 बार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। फसल कटाई रोपण के 18 माह बाद सामान्यत: दिसंबर-जनवरी माह में की जाती है।

सर्पगंधा का औसत उत्पादन प्रति नाली 55-65 किलोग्राम तथा 2750 से 3250 किलोग्राम प्रति हैक्टयर सूखी जड़ के रूप में होता है।

कुटकी

कुटकी का उपयोग मुख्यत: ड्राप्सी, बुखार, पेट दर्द, मधुमेह, हिपेटिक, अमीबायोसिस की दवा तथा टॉनिक के रूप में किया जाता है।

कुटकी की खेती के लिए बलुई-दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, साथ ही जीवांश की प्रचुर मात्रा हो, ज्यादा उपयुक्त होती है। यह पौधा नम टेम्परेट से अल्पाइन क्षेत्र, आंशिक छावदार स्थान में आसानी से उगाया जा सकता है।

कुटकी का प्रवर्धन और प्रसारण बीजों, भूस्तारी तनों की कलमों द्वारा तथा जड़ों के कायिक जनन द्वारा किया जाता है लेकिन भुस्तारी तनों की कलमों द्वारा अधिक उपयुक्त तथा लाभकारी होता है।

कुटकी एक बहुवर्षीय फसल है लेकिन कुटकी की फसल अवधि कृषिकरण की दृष्टि से दो वर्ष तीन माह उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि इस अवधि में पौधों की भूस्तारी तनों तथा जड़ों में प्रमुख सक्रिय संघटक की उपयुक्त मात्रा विकसित हो जाती है।

कुटकी की पौध तथा भूस्तारी तनों की कलमों के रोपण के लिए जुलाई मध्य से वर्षा काल के माह का समय उपयुक्त है।

कुटकी की अच्छी उपज के लिए भूस्तारी तनों की कलमों की दूरी 30 से 30 सेमी उपयुक्त मानी जाती है। इस हिसाब से यदि पौधे से पौधे की दूरी 30 से 30 सेमी रखी जाय तो 2,200 पौधे प्रति नाली तथा 1,10,000 पौधे प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है।

कुटकी के कृषिकरण के लिए पौध रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी पड़ती है। गर्मियों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 15 से 20 दिन के अंतराल में नियमित निराई-गुड़ाई करनी पड़ती है। मलचिंग द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है।

कुटकी की फसल कटाई (खुदाई) रोपण के बाद सामान्यत: अक्टूबर-नवंबर माह में यानी 2 वर्ष 3 माह बाद की जाती है। सूखी जड़ों का उत्पादन 20 से 25 किलोग्राम प्रति नाली होता है।

सतावर

सतावर की जड़ों में सतावरिन 1 एवं सतावरिन 2 नामक रसायन पाया जाता है। सतावरिन 1 सार्सपोजिनिन का ग्लूकोसाइड होता है।

सतावर की जड़ों का औषधीय उपयोग दुग्ध बढ़ाने में, शक्तिवर्धक बलकारक, अतिसार तथा चर्मरोगों के उपचार में किया जाता है।

सतावर के कृषिकरण के लिए रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हो ज्यादा उपयुक्त होती है। पौधा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है।

सतावर का प्रवर्धन एवं प्रसारण बीजों तथा कंद के कायिक जनन द्वारा किया जाता है लेकिन बीजों द्वारा अधिक उपयुक्त होता है।

सतावर एक बहुवर्षीय फसल है लेकिन सतावर की फसल अवधि कृषिकरण की दृष्टि से 18 माह उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इस अवधि में सतावर मूलों में प्रमुख संघटक की उपयुक्त मात्रा विकसित होती है।

सतावर के पौधे को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि माह में एक बार सिंचाई की व्यवस्था हो सके तो जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है। सतावर में एक नियमित अंतराल पर निराई, गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है तथा नियमित निराई, गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है।

उत्पादन तथा सक्रिय संघटक की दृष्टि से दिसंबर से जनवरी माह फसल कटाई के लिए उपयुक्त होता है।

औसत उत्पादन प्रति नाली 75 से 80 किलोग्राम तथा 3,750 से 4,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होता है।

तेजपात

तेजपात की पत्ती में यूजिनोल 85 प्रतिशत डी फिलान्ड्री एवं छाल में 70-85 प्रतिशत सिनेमिक एल्डीहाइड सक्रिय संघटक होता है। इसके तने की छाल और पत्तियों का उपयोग होता है।

तेजपात की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें आर्द्र तथा जीवाश्म अधिक मात्रा में होती है, उपयुक्त मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में औसतन तापमान 15 से 30 डिग्री तथा औसतन वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेमी हो वहां इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तेजपात का प्रवर्धन तथा प्रसारण बीजों तथा कलमों द्वारा किया जाता है लेकिन बीजों द्वारा अधिक उपयुक्त और लाभकारी होता है। यह बहुवर्षीय फसल है। तेजपात के पौधे 50 से 60 वर्षों तक फसल प्राप्त की जाती है।

तेजपात के पौध रोपण के लिए गड्ढ़ों का निर्माण 45 गुणा 45 गुणा 45 सेमी तथा पौध से पौध 10 गुणा 10 फीट पर रोपित किया जाता है। इस हिसाब से प्रति नाली 22 पौधे तथा प्रति हैक्टेयर 1,100 पौधों की आवश्यकता होती है।

तेजपात की सिंचाई सप्ताह में दो बार अवश्य करनी पड़ती है क्योंकि इसको नमी की आवश्यकता होती है। रोपण के 8 वर्षों तक 2 से 3 माह के अंतराल में निराई-गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक है।

एक पौधे से 9 से 19 किलोग्राम तक पत्तियां प्रतिवर्ष एकत्र की जाती हैं। उचित तरीके से खेती करने पर 35 किलोग्राम तेल प्रति हैक्टेयर तथा 200-300 किलोग्राम छाल प्रति हैक्टेयर प्राप्त होती है।

तुलसी

तुलसी का औषधीय उपयोग बुखार, गला खराब, किडनी स्टोन्स, हृदय संबंधी रोगों, श्वास, थकान तथा त्वचा रोगों, नेत्र रोगों, दांतों की बीमारियों, सिरदर्द आदि में किया जाता है।

तुलसी के कृषिकरण के लिए दोमट, बलुई मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, इसकी अच्छी बढ़त में सहायक होती है। यह पौधा सम शीतोषण क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है।

तुलसी का प्रवर्धन एवं प्रसारण मुख्यत: बीजों द्वारा किया जाता है। तुलसी के रोपण के लिए जून माह का समय उपयुक्त है। तुलसी एक वर्षीय फसल है लेकिन तुलसी की खेती मुख्यत: दो उद्देश्यों के लिए की जाती है। सीधे पत्तों की बिक्री हेतु तथा तेल निकालने हेतु दोनों ही स्थितियों में पौधे 90-95 दिन के हो जाएं तथा इन पर लगी मंजरिया पूर्णतया विकसित हो जाएं, तब इन्हें काट लिया जाता है।

तुलसी के कृषिकरण के लिए समुद्र तल से 300 से 3000 मीटर ऊंचाई उपयुक्त है।

तुलसी के कृषिकरण के पौधे से पौधे की दूरी 45 सेमी से 45 सेमी रखी जाए तो 975 पौधे प्रति नाली तथा 48,750 पौधे प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है।

तुलसी के पौधे को प्रारंभिक दिनों 3-3 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देने से अच्छी प्रकार जड़ पकड़ लेती है। इसके बाद 7 से 10 दिन में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। एक माह के उपरांत निराई-गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तुलसी के उत्पादन तथा सक्रिय संघटक की दृष्टि से सितंबर का माह उपयुक्त होता है लेकिन रोपण के 90 से 95 दिन के बाद फसल की कटाई की जाती है।

तुलसी का औसत उत्पादन 50-60 किलोग्राम प्रति नाली तथा 2,500 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होता है।

घृतकुमारी

घृतकुमारी का खूनी अतिसार, पेशाब संबंधी रोगों, मुहासे तथा फोड़े-फुंसियों, जलन, खुजली तथा जहरीले कीड़े काटने, सर्दी तथा खांसी आदि के उपचार में प्रयोग होता है।

घृतकुमारी के कृषिकरण के लिए हल्की रेतीली दोमट तथा भारी दोमट मिट्टियों जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो तथा 6.5 से 5.5 पीएच मान वाली भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। घृतकुमारी के पौधे के लिए गर्म आर्द्र से अर्ध शुष्क तथा ऊष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। वैसे सामान्यतया शुष्क जलवायु ज्यादा उपयुक्त होती है।

घृतकुमारी का प्रवर्धन तथा प्रसारण जड़दार, सकर्स अथवा जड़दार पौधे जैसे साईट हिलर्स अथवा बीजों द्वारा किया जाता है।

घृतकुमारी एक बहुवर्षीय फसल है लेकिन बिजाई के लगभग एक वर्ष बाद इसके पत्तों की कटाई की जाती है। काटने के उपरांत पौध पर पुन: पत्ते आ जाते है जिन्हें अगले वर्ष काटा जा सकता है। इस प्रकार यह फसल 4-5 वर्ष तक अच्छी उपज दे सकती है।

घृतकुमारी का पौध रोपण वर्ष में कभी भी किया जा सकता है परंतु वर्षा ऋतु के बाद का समय सितंबर-अक्टूबर इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया जाता है।

कृषिकरण में पौधे से पौधे के बीच की दूरी 40-40 सेमी रखी जाए तो 1,250 पौधे प्रति नाली तथा 62,500 पौधे प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है।

घृतकुमारी के पौधों के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजाई के उपरांत एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह धीरे बढ़ने वाला पौधा है इसलिए बिजाई के प्रथम वर्ष में खेत में खरपतवार की अधिक संभावना होती है। वैसे घृतकुमारी के खेत की निराई-गुड़ाई एक नियमित अंतराल में करनी चाहिए। घृतकुमारी का औसत उत्पादन 1,250-1,500 किलोग्राम प्रति नाली हरे पत्ते तथा 62,500-75,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होता है। ●

कृषि क्षेत्र में हैं कॅरियर के कई मौके

कृषि में आधुनिकता आई है और नवीन तकनीकों का प्रसार हुआ है। इन सबके बावजूद आज भी इस क्षेत्र में युवा शक्ति की कमी है, यानि युवाओं के लिये यहां कॅरियर की अथाह संभावना है। खास तौर से अध्ययन और स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष संभावना है।

■ **पवन के. टाक**

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आंकलन उस देश की खेती-किसानी की स्थिति से ही होता है। एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही आज की आधुनिक पीढ़ी के मन में गांव के कामधाम का चित्रण सामने आता है परन्तु वास्तविकता यह है कि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या तो रोजगार के क्षेत्र में खेती-किसानी से ही जुड़ी है। पिछले छह दशक से इस कार्य में युवाओं ने इसके गहन अध्ययन, शोध व प्रयोग में बतौर कृषि कर्मचारी के रूप में हाथ बंटाये हैं, जिससे कृषि में आधुनिकता आई है और नवीन तकनीकों का प्रसार हुआ है। इन सबके बावजूद आज भी इस क्षेत्र में युवा शक्ति की कमी है, यानि युवाओं के लिये यहां कॅरियर की अथाह संभावना है। खास तौर से अध्ययन और स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष संभावना है। आइये, कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर नजर डालते हैं।

यदि कोई छात्र अपने कॅरियर में कृषि विषय चुनता है तो उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। कक्षा 12 के बाद कृषि में चार साल का कोर्स है, जिसको बीएससी-एग्रीकल्चर/ बीएससी-एग्रीकल्चर (ऑनर्स) का कोर्स कहते हैं, साथ ही इस कोर्स को प्रोफेशनल कोर्स की भी मान्यता है। इसके लिए छात्र कक्षा 11-12 में एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से उतीर्ण होना आवश्यक है। देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, जिसको जॉइंट एंट्रेस एग्जाम (जेट) कहते हैं। यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। कई विश्वविद्यालयों में 12वी के अंकों की मेरिट के आधार पर सीधा एडमिशन भी मिलता है।

इस चार साल के एग्रीकल्चरल साइंस के कोर्स में हम एग्रीकल्चर के विभिन्न विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध रूप से करते हैं, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली (6 माह का एक सेमेस्टर) की भूमिका होती है। उस दौरान समस्त एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के सभी विषयों पर गहन अध्ययन, प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से होता है। जहां फार्म मैनेजमेंट (बुवाई से बाजार तक), प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय संकलित हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोलॉजी, कैमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।

एग्री बिजनेस मैनेजमेंट

बीएससी एग्रीकल्चर/ बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स) के समकक्ष एक और कोर्स भी वर्तमान में संचालित हो रहा है जिसको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या ऐबीएम कहा जाता है। इसमें कुल पांच वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें कृषि के मूलभूत विषयों के अलावा मार्केटिंग और मैनेजमेंट के विषयों को भी पढ़ाया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर/ बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स) के बाद उच्च अध्ययन के लिए एमएससी (मास्टर ऑफ साइन्स) करनी होती है जो दो वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसके लिये प्रवेश परीक्षा भी होती है। कई विश्वविद्यालयों

में बीएससी-एग्रीकल्चर/ बीएससी-एग्रीकल्चर (ऑनर्स) के प्राप्तांक के आधार पर भी चयन होता है। एमएससी (मास्टर ऑफ साइन्स) के भी कई विषय होते हैं, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सीड साइंस, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान , बायोटेक्नोलॉजी, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, मौसम विज्ञान, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, एक्सटेंशन साइंस, एनिमल एंड डेयरी साइंस आदि मुख्य हैं। इनमें से किसी भी विषय मे एमएससी करने के बाद एमफिल-एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके साथ गहन अध्ययन के लिए एमएससी के ही विषय से संबंधित किसी एक टॉपिक पर पीएचडी-एग्रीकल्चर होती है।

बी.टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग

यह कोर्स भी बीएससी- एग्रीकल्चर/ बीएससी-एग्रीकल्चर (ऑनर्स) के समकक्ष है। जो छात्र एग्रीकल्चर में इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वह यह कोर्स कर सकते हैं। यह भी चार साल का कोर्स है। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सभी विषयों पर अध्ययन होता है।

एम.टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग

यह दो वर्षीय कोर्स बी.टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अध्ययन के बाद किया जाता है। इसमें भी गहन अध्ययन के बाद छात्र एक इंजीनियर के रूप में परिभाषित होता है। इन दोनों कोर्स में इंजीनियरिंग के तमाम बिंदु जैसे फार्म मशीनरी, सिंचाई के साधन, हाई टेक हॉर्टिकल्चर सिस्टम, मौसम जांच प्रणालियों में नवीन नवाचार आदि मुख्य हैं। फार्म इक्विपमेंट और मशीनरी के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी और उनके पार्ट्स को डिजाइन और टेस्ट करने से संबद्ध सभी कार्य हैं। साथ ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को डिजाइन, लाइवस्टॉक (पशुधन) के लिए हाउसिंग और एनवायरनमेंट्स डिजाइन के बिंदु भी संकलित हैं। इसमें फार्म्स में लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स की योजना और इन प्रोजेक्ट्स की देखरेख का अध्ययन भी प्रमुख है। इस तरह के कोर्स में एग्रीकल्चरल वेस्ट से एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से संबद्ध क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स विकसित तकनीक पर भी अध्ययन होता है, जो पशुधन की प्रोडक्टिविटी और कम्फर्ट में बढ़ोतरी करता है।

इसी तरह कुछ इसी के संबंधित विषय जैसे रेफ्रिजरेशन की स्टोरेज कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के भी हैं। एनिमल वेस्ट डिस्पोजल के लिए बेहतर सॉल्यूशन्स के बिंदु यहां संकलित हैं। इस तरह इन सभी फील्ड के विद्यार्थी संबंधित विषय में अध्ययन के बाद आवश्यक योग्यता के अनुरूप खेती-किसानी में सहायक के रूप में भूमिका निभाते हुए रोजगार की प्राप्ति करते हैं। ये एग्रीकल्चर में बुवाई से बाजार तक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र की कुछ प्रमुख नौकरियां

हमारे देश में एग्रीकल्चरल फील्ड में हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने और समुचित ट्रेनिंग लेने के बाद बतौर सरकारी और निजी कृषि कर्मचारी जैसे फार्म मैनेजर, सुपरवाइजर, सॉइल साइंटिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलोजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, मौसम वैज्ञानिक, पशुपालन विशेषज्ञ, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रीकल्चरल कम्प्यूटर इंजीनियर (जिन इंजीनियर्स के पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं, वे एग्रीकल्चर में जियोस्पेशल सिस्टम्स और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं), एग्रीकल्चर फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चर इंजीनियर, एनवायर्नमेंटल कंट्रोल्स इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड सुपरवाइजर, रिसर्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियर, बी कीपर, फिशरी मैनेजर, बोटेनिस्ट, सॉयल इंजीनियर, सॉयल एंड प्लांट साइंटिस्ट, लेब टेक्नीशियन और मीडिया मैनेजर आदि के रूप में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं।

प्रमुख कॅरियर विकल्प

एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रोजगार पाने वाले को शुरू में 2.5 से 4.5 लाख रुपये तक सालाना एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है। वैसे इस फील्ड में वर्ष 2020 तक 9 प्रतिशत रोजगार विकास की संभावना है।

प्रमुख जॉब प्रोवाइडर

भारत सरकार व राज्य सरकारों के कृषि से संबद्ध सभी विभाग, आईसीएआर के सभी अनुसंधान केंद्र व स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, मृदा जांच केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय कृषि पशुपालन मंत्रालय व कृषि विभाग, राज्य कृषि व पशुपालन मंत्रालय व विभाग, जल एवं पर्यावरण मंत्रालय, मौसम विभाग आदि प्रमुख हैं।

इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के कई माध्यम हैं-

- खाद व उर्वरक कंपनी
- फार्मिंग इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स
- पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज
- एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट इंडस्ट्रीज
- एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्रोसेसर्स
- सीड इंडस्ट्रीज
- एनजीओ
- स्ववित्तपोषित संस्थान
- मीडिया ग्रुप
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
- डेरी इंडस्ट्रीज

कर्मचारियों का सैलरी पैकेज

हमारे देश में कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट (बीएससी या बीटेक) फ्रेशर्स को शुरू में एवरेज 18 से 25 हजार रुपए तक प्रति माह मिलते हैं। अन्य सभी फील्ड्स की तरह ही इस फील्ड में सैलरी पैकेज कैंडिडेट के जॉब रोल, स्किल्स और उनके बैचलर डिग्री से संबद्ध यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट पर काफी हद तक निर्भर होता है। इस फील्ड में पेशेवरों को 4 वर्ष से 6 वर्ष के कार्य-अनुभव के बाद एवरेज 6 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का सालाना पैकेज मिल सकता है। इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स शुरू में 3.6 लाख रुपए तक औसतन सालाना सैलरी पैकेज लेते हैं और 4 वर्ष से 6 वर्ष के कार्य अनुभव के बाद 6 से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष औसतन सैलरी प्राप्त करते हैं। इसी तरह इस फील्ड से संबद्ध रिसर्च प्रोफेशनल्स 55 से 80 हजार रुपए प्रति माह तक एवरेज सैलरी लेते हैं। इन सभी के अलावा इस फील्ड में गहन अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, जिससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। स्वरोजगार के लिये वर्तमान में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को बैंक के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे युवा साथी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। यदि युवा अध्ययन और प्रेक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं तो स्वयं आईआईटी यूनिवर्सिटीज के छात्रों के मुकाबले ज्यादा जॉब सृजन कर सकते हैं और ज्यादा धन कमा सकते हैं।

(लेखक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के कृषि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

वीरान होती कृषि भूमि और पलायन करते किसान

■ श्रीमती पूनम रावत

भारत विश्व के सर्वाधिक कृषि संपन्न देशों में गिना जाता है। जिस देश में कृषि एवं पर्यटन विकसित हैं वहां पर बेरोजगारी नहीं है एवं आम जनमानस अधिक सुखी, संपन्न एवं संतुष्ट है। भारत को यदि चिरकाल तक सजीव एवं शक्तिशाली बने रहना है तो उसे कृषि को जीवंत, खुशहाल एवं वैज्ञानिक रूप से अधिक विकसित करना होगा। साथ ही साथ पर्यटन को बड़ी तेजी के साथ बढ़ावा देना होगा जिससे भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास बड़ी तेजी के साथ हो सके। इससे भारत में बेरोजगारी एवं आर्थिक असमानता समाप्त होगी एवं देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा।

भारत फिर से कृषि एवं तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। उसके लिए सरकार कृषि विशेषज्ञों एवं योजनाकारों को नये सिरे से सोचना होगा। इससे अधिक खाद्यान्न उगाने पर हम कृषि क्षेत्र में हमेशा आत्मनिर्भर बने रहेंगे और शेष खाद्यान्न को निर्यात भी कर सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। यह अच्छी बात है कि हर वर्ष हमारी सरकारें किसानों की भलाई के लिए अधिक सुख-सुविधाएं देती हैं फिर भी किसानों की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। किसानों के लिए पेंशन, फसल बीमा, खाद-बीज की सुविधा ने अवश्य ही किसानों का मनोबल बढ़ाया है, फिर भी किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से स्थायी रूप से हल किया जाना बहुत जरूरी है। किसानों की आय आम आदमी जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत है, से बहुत कम है। सन् 2018 के एक सर्वेक्षण के अनुसार जहां सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले बाबू का वेतन 60,000 रुपए था, किसान की आय मात्र 6000 रुपए महीना थी। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि छोटे किसान और छोटे बाबू के वेतन की आय में कितना बड़ा अंतर है।

भारतीय किसान मेहनती, स्वावलंबी एवं ईमानदारी से कार्य करता है वह हमेशा छल-कपट से दूर रहता है, रात-दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी आय कम ही रहती है। ऐसे किसानों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छी सुख-सुविधाएं दी जानी चाहिए और उन्हें अधिक उपज उगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि आधुनिक वैज्ञानिक युग में किसानों को अधिक सुविधाएं नहीं मिलीं, उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ तो वह खेती की ओर आकर्षित नहीं होंगे, उनका मोहभंग होने लगेगा और धीरे-धीरे वह खेती करना छोड़ देंगे। किसानों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सुख-सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वह मेहनत कर अपने परिवार को कठिनाईयों से उबार सकें।

मैं देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर चुकी हूं। तीस साल पहले किसानों में खेती

करने का जो उत्साह था वह अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है। सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। बिजली, खाद-बीज एवं सिंचाई की सुविधाएं उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए। बीस वर्ष पूर्व जो धरती हरी-भरी हुआ करती थी, अब वीरान होने लगी है। कई राज्यों के लोग खेती करना छोड़कर दूसरे छोटे-मोटे उद्योगों की ओर आकर्षित हो रहे है। हिमाचल, उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में लोगों ने खेती छोड़कर बड़े शहरों की ओर पलायन किया है जो कि भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन वह किसी न किसी सरकारी, गैर सरकारी झंझट से जूझ रहे हैं। यदि किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारनी है एवं देश में अनाज का व्यापक भंडारण करना है तो किसानों को सरकारी एवं गैर सरकारी बाधाओं से दूर रखना आवश्यक है। इससे किसानों को खेती करने में अधिक आसानी होगी एवं उनका मनोबल भी बना रहेगा।

देश में लगभग 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में आवासीय कालोनियां बन चुकी हैं। इसके अलावा सड़कें, पुल, हाईवे, डैम, पर्यटन स्थल एवं आलीशान रिजार्ट्स बन चुके हैं जो कि देश के आवास-विकास के लिए आवश्यक हैं। भविष्य में ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि आवसीय परिसर पहाड़ी भूमि, वीरान भूमि एवं बेकार पड़ी अकृषि भूमियों में बनाए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि कृषि भूमियों को नष्ट न किया जा सके और उसका उपयोग केवल अनाज की उपज के लिए ही किया जाए।

देश के किसानों का मनोबल हमेशा ऊंचा बनायें जिससे वह अपनी आजीविका खेती को न छोड़ें, वह पलायन न करें, परिस्थितियों से संघर्ष करें, हिम्मत न हारें और आगे बढ़ते रहें। सरकार को हमेशा किसानों की भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। भारतीय कृषि प्राचीन काल से ही अनाज एवं औषधियों का काम करती रही है। इसके क्षेत्रफल एवं उपज में कमी नहीं आनी चाहिए। भारत देश में जितनी भी बेकार एवं वीरान भूमियां उपजाऊ स्थिति में हैं उन सबका उपयोग कृषि एवं उद्यानिकी के लिए किया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय एवं उद्यानिकी विभाग को अपनी देखरेख में ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे कृषकों को अधिक रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।

हमारे देश में पर्वतीय भागों में परंपरागत तौर-तरीकों से खेती की जाती है। देश के जिन भागों में परंपरागत तरीके से जितनी खेती की जाती है उसे वहां पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे देश के कई राज्यों में कृषक भी वैज्ञानिकों की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए खेती के औजार स्वयं बनाए हैं एवं विकसित कर लिए हैं। वह इन कृषि औजारों से बेहतर ढंग से खेती कर रहे हैं। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों के किसान, हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों के किसान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के किसान हैं। वे अपने कृषि औजारों पर भरोसा रखते हैं और अधिक अन्न उगाते हैं। इन राज्यों में मेहनती किसानों का स्वास्थ्य भी अच्छा पाया गया है। यदि वहां पर चिकित्सा सुविधाएं अधिक आसान एवं तुरंत सुलभ हों तो किसानों का जीवन अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।

वन्य जीवों का हमें संरक्षण अवश्य करना चाहिए, लेकिन विशाल संख्या में वह हमारी खेती को नष्ट कर रहे हैं। देश में प्रस्तावित रेल-रोड, एयरपोर्ट, आवासीय कालोनियों का निर्माण इसलिए रोक दिया जाता है कि वहां पर वन्य जीवों के आवास हैं। हाथियों का भ्रमण क्षेत्र है, पशु-पक्षियों के कीड़ास्थल हैं। पर्यावरण संरक्षण योजनाओं को विकास के रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिए, न ही अंधाधुंध विकास से पर्यावरण का क्षरण होना चाहिए। अगर पर्यावरण योजनाएं इसी तरह हमारे विकास में आड़े आती रहीं तो हमारे विविध प्रदेशों में विकास की प्रक्रिया ठप हो जाएगी और देश का सामाजिक-आर्थिक विकास रुक जाएगा।

उत्तराखंड राज्य का ही उदाहरण लिया जाए तो वहां आश्चर्यजनक रूप से वन्य जीवों का आतंक बढ़ा है। जंगली सूअर, सियार, बंदर, लंगूर, साही, नील गाय, हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान अपनी कृषि भूमियों को छोड़कर छोटे-छोटे शहरों में बस रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, विशेषकर सीमांत गांवों पर इसका बड़ा असर पड़ा है। ऐसा होने से जनसंख्या का असंतुलन बढ़ जाएगा और देश के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा।

सरकार को किसानों के हितों की देखभाल करनी चाहिए। यदि वन्यजीवों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो धरती पर वन्यजीव ही नजर आएंगे, मानव नहीं। मानव सर्वोपरि है, अतः उसे खेती एवं सुख-साधनों पर जीवित रहने का सर्वाधिक अधिकार है। वन्यजीवों पर अवश्य नियंत्रण किया जाना चाहिए जिससे किसान निर्भय होकर खेती कर सकें। ●

ALAM SINGH BISHT MEMORIAL FOUNDATION

Wooly Maroda, Block Pabau, Pauri Garhwal

Opening Shortly:

The Nursing Institute

A.S. Bisht Memorial Public School

A.S. Bisht Institute of Art & Culture

A.S. Bisht B.Ed. College

हींग की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा

हमारे देश के किसान खेती में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि अब वे सिर्फ परंपरागत खेती न करके दूसरी औषधीय और मसालों की खेती में भी दिलचस्पी ले रहे हैं।

इसी के चलते किसानों ने हींग की खेती में भी सफलता हासिल की है। अभी तक भारतीय किसान हींग की खेती करने से कतराते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे देश में हींग की खपत लगभग 40 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी खेती का न होना थोड़ा अजीब था। हमें हींग दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। वहीं हींग का बाजार भाव लगभग 3500 रुपए प्रति किलोग्राम है।

इन देशों में होती है हींग की खेती

हींग एक सौंफ प्रजाति का पौधा है और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है, इसकी खेती जिन देशों में प्रमुख तौर पर होती हैं वो है अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ब्लूचिस्तान है।

कहां की जा सकती है ये खेती

हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सही रहता है। अगर हमारे यहां की बात करें तो पहाड़ों पर ये तापमान होता है इसलिए वहां आसानी से खेती की जा सकती है। कुल मिलाकर हींग की खेती के लिए न ज्यादा गर्ती की जरूरत है और न ज्यादा सर्दी। हींग की खेती के लिए ऐसी जमीन उपयुक्त मानी जाती है जिसमें रेत, मिट्ठी के ठेले व चिकनी मिट्टी ज्यादा हो। इसके अलावा उस जगह पर धूप सीधे पड़नी चाहिए। जहां छाया पड़ती हो वहां पर इसे नहीं उगाया जा सकता है।

क्या है पूरी प्रक्रिया

अगर आप ग्रीन हाउस खेती की बात करें तो इनके बीज का 2-2 फीट की दूरी से बोया जाता है। जब इन बीजों से पौधे निकल आएं तो इनके बीच की दूरी को बढ़ाकर 5 फीट कर देनी चाहिए। जमीन की नमी के हिसाब से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी इनके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और जरूरी बात ये है कि हींग पौधे को तैयार होने में 5 वर्ष का समय लगता है। इसकी जड़ों व सीधे तनों से गोंद निकाला जाता है।

कहां से हो रही है शुरुआत

भारत में हींग की खेती की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति से हुई है। ये पहल इंडियन कॉफी बोर्ड के सदस्य डॉ. विक्रम शर्मा और हिमाचल सरकार की वजह से शुरू हुई है। डॉ. शर्मा ने इसके बीज को इरान और तुर्की से मंगाकर यहां खेती की शुरुआत करवाई है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले किसान भी आसानी से इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

(Source: www.indiawave.in)

पंतनगर किसान मेला संपन्न

3 से 6 मार्च 2020 तक चला पंतनगर किसान मेला के समापन अवसर पर गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. तेज प्रताप ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के बीच का संवाद इस चार-दिवसीय मेले में अत्यंत सफल रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 70 सालों से किसान मेला आयोजित करने की परंपरा का बखूबी निर्वाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मेले में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर से किसान आये। उन्होंने कहा कि देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालय भी

मुख्य अतिथि देहरादून जनपद के जौनसार-बावर क्षेत्र के पंचगांव निवासी प्रगतिशील किसान श्री निर्मल सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को अपने खेत की दशा, मृदा, स्थानीय मौसम व क्षेत्र की ऊंचाई के अनुसार फसलों एवं फलों की उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे औद्यानिक फसलों की नर्सरी का कार्य कर रहें है तथा 20 अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहें है। उन्होंने आम की 156 प्रजातियों के साथ-साथ अन्य फलों की प्रजातियों को जर्मप्लाजम के रूप में संरक्षित कर रखा है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के लिए नीबू व अखरोट का उत्पादन करना सबसे उत्तम है, जिसमें वे नौकरी से अधिक कमाई करने के साथ-साथ दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं।

जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले श्री मां पूर्णागिरी एवं बग्वाल मेला देवीधूरा का संचालन किया जाता है। जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु बी.ए.डी.पी., पर्यटन, शिक्षा मद, राज्य वित्त आयोग आदि योजना के अंतर्गत पुल, मार्ग, सामुदायिक भवन, सुरक्षा दीवारों, सामूहिक शौचालय, जल निकास नाली, पेयजल टैंक, पेयजल लाईन आदि का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता से जिला पंचायत अपील करती है कि जिला पंचायत के देयकों का समय से भुगतान करते हुए जिले के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करें।

.....

''प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी वस्तुओं का विक्रय एवं भंडारण करना दण्डनीय अपराध है, इनका प्रयोग करते पाये जाने पर रु. 5000/– का अर्थदण्ड वसूला जाएगा।''

.....

(राजेश कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चम्पावत

(ललित मोहन कुंवर)
उपाध्यक्ष
जिला पंचायत, चम्पावत

(ज्योति राय)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, चम्पावत

(किरन देवी)
सदस्य
जि.प.च.

(पुष्कर कापड़ी)
सदस्य
जि.प.च.

(दीपा जोशी)
सदस्य
जि.प.च.

(भूपेन्द्र महर)
सदस्य
जि.प.च.

(संगीता महर)
सदस्य
जि.प.च.

(सरिता बोहरा)
सदस्य
जि.प.च.

(सुरेन्द्र सिंह सामंत)
सदस्य
जि.प.च.

(प्रीति पाठक)
सदस्य
जि.प.च.

(हरीश राम)
सदस्य
जि.प.च.

(रेखा गोस्वामी)
सदस्य
जि.प.च.

(विजय सिंह बोहरा)
सदस्य
जि.प.च.

(प्रहलाद सिंह)
सदस्य
जि.प.च.

(सीमा देवी)
सदस्य
जि.प.च.

लहसुन उत्पादन की उन्नत सस्य तकनीक

लहसुन भारतीय समाज में मसाले के रूप में प्रयोग होने वाली एक प्रमुख फसल है। औषधि के रूप में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। पुराने समय में इसका उपयोग शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मुख्य लहसुन उत्पादक राज्यों में से एक हैं, जिनका औसत उत्पादन 4.535 टन प्रति हेक्टेयर है।

उन्नत किस्में

1. यमुना सफेद-1 (जी-1): यह संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। यह 150 दिन में तैयार हो जाती है। बैंगनी धब्बा बीमारी के लिए सहनशील है।
2. यमुना सफेद-2 (जी-50): यह मुख्यत: उत्तर भारत की फसल है और 165-170 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज 150-155 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
3. यमुना सफेद (जी-282): यह मुख्यत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है।
4. यमुना सफेद (जी-323): यह मुख्यत: राजस्थान, झारखंड, सिक्किम और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है।
5. जबलपुर लोकल: यह सफेद रंग की बड़े आकार की किस्म होती है। इसकी उपज 75-80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 180 दिनों में तैयार हो जाती है।
6. फुले बसंत: यह मुख्यत: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की फसल है।
7. भीमा ओमकार: यह मुख्यत: दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान की फसल है और यह 120-135 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज 8-14 टन प्रति हेक्टेयर है।
8. एग्री फाउण्ड ह्वाइट (जी-41): इसके कंद में 25-26 कलियां पायी जाती हैं और यह प्रति हेक्टेयर 135-145 क्विंटल की उपज देती है।

जलवायु एवं भूमि

यह शीत प्रदेश (12-18^0 से.) की फसल है। जबकि इसको तैयार होने के लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। यह अच्छी तरह से जल निकासित मिट्टी जिसमें भरपूर जैविक उपजाऊ पदार्थ मिले हों तथा जिसका पीएच मान 6-7 के बीच हो, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। पूरी तरह से अम्लीय मिट्टी इसके उपयोगी नहीं है।

खेत की तैयारी: लहसुन के जड़ की गहराई 6-10 सेमी. होती है। इसलिए बेड को उथला होना चाहिए। खेत में 4-5 बार जुताई करनी चाहिए तथा रोपण 15 गुणा 10 सेमी. के अंतर से करना चाहिए।

बीज एवं बुवाई: लहसुन बुवाई के लिए लहसुन की कलियों की मात्रा 5-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इन कलियों को पुलिया कहा जाता है। लहसुन की बुवाई के लिए दो सीजन उपयुक्त माने गये हैं - जून से जुलाई और अक्टूबर से नवंबर।

खाद एवं उर्वरक

जैविक खाद को पहली जुताई से पहले डालना चाहिए। अंतिम जुताई के समय फार्म यार्ड खाद (एजोस्पीरिलम 2 किग्रा.) को तथा फास्फोबेक्टिरिया (2 किग्रा. प्रति हेक्टेयर) डालना चाहिए। फास्फोरस, पोटाश, बोरॉन, जिंक की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए।

निराई-गुड़ाई: पहली निराई-गुड़ाई बुआई के एक महीने बाद हाथ से या खुरपी से करनी चाहिए और दूसरी उसके एक महीने बाद होईंग से करनी चाहिए। अंकुरण के पूर्व 3-5 ली. प्रति हेक्टेयर पेंडीमिथॉलिन का छिड़काव करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।

सिंचाई: सिंचाई बुवाई से पहले और बाद में करनी चाहिए और बुवाई के 3 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए। ठंड के समय 10-12 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए।

प्रमुख कीट एवं व्याधियां

1. नेमाटोड: नेमाटोड को कार्बोफुरान 3जी का 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई के एक महीने बाद छिड़काव करके काबू पाया जा सकता है।
2. थ्रिप्स: ये पत्तियां चूसने वाले कीट होते हैं। ये छोटे-सफेद रंग के होते हैं। इनके नियंत्रण के लिए 0.05 प्रतिशत मोनो क्रोटोफॉस का छिड़काव करते हैं।
3. कटवर्म: ये कीट पौधों को जड़ से काट देते हैं। इनका नियंत्रण 500 किग्रा. नीम की खली से खेत की तैयारी के समय उपयोग करके किया जा सकता है।
5. कंद सड़न: इस रोग के नियंत्रण के लिए बुवाई से पहले कंद को कार्बेन्डाइजिम (2 किग्रा.) से उपचारित किया जा सकता है।
6. बैंगनी धब्बा: यह एक फफूंद जनित रोग है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोफिल-एम (2.5 ग्राम/ली.) का 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करके नियंत्रण पाया जा सकता है।

फसल कटाई

इसकी हार्वेस्टिंग (खुदाई) अलग-अलग किस्मों पर निर्भर करती है। यह सामान्यत: 120-150 दिनों में तैयार हो जाती है। जब इसकी पत्तियां पीली होकर सूखने लगें तभी खुदाई का सही समय होता है। हार्वेस्टिंग के बाद लहसुन को धूप में एक हफ्ते तक सुखाना चाहिए।

-डॉ. राजीव दुबे - सहायक प्राध्यापक, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर
-डॉ. ओ. पी. सिंह - सह प्राध्यापक, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर
-विनय कुमार गौतम - मृदा एवं जल अभियांत्रिकी विभाग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग
-डॉ. के.के. यादव - महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर

ग्राम पंचायत और उसका अधिकार क्षेत्र

देश की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और पूरे देश में दो लाख 39 हजार ग्राम पंचायतें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर पांच साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता।

क्या होती है ग्राम पंचायत?

किसी भी ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गांवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11, तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार होनी जरूरी है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है।

ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को नामित कर सकता है।

अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान गांव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पदमुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों का जिला पंचायतीराज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत

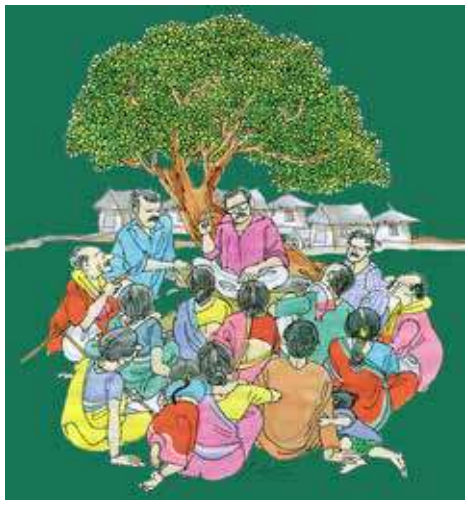

राज अधिकारी गांव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य

1. नियोजन एवं विकास समिति सदस्य

सभापतिः प्रधान, छह अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य अनिवार्य होता है।

समिति के कार्यः ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना।

2. निर्माण कार्य समिति सदस्य

सभापतिः ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की ही तरह)।

समिति के कार्यः समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना।

3. शिक्षा समिति सदस्यः

सभापतिः उप-प्रधान, छह अन्य सदस्य, (आरक्षण उपर्युक्त की भांति) प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक-सहयोजित करना।

समिति के कार्यः प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्यों को देखना।

4. प्रशासनिक समिति सदस्य

सभापतिः प्रधान, छह अन्य सदस्य आरक्षण (ऊपर की तरह)।

समिति के कार्यः कमियों-खामियों को देखना।

5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सदस्य

सभापतिः ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह)

समिति के कार्यः चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण।

6. जल प्रबंधन समिति सदस्य

सभापतिः ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित।

समिति के कार्यः राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल संबंधी कार्य देखना।

ग्राम पंचायत के कार्य

1. कृषि संबंधी कार्य
2. ग्राम्य विकास संबंधी कार्य
3. प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य
4. युवा कल्याण संबंधी कार्य
5. राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य
7. महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य
8. पशुधन विकास सम्बंधी कार्य
9. समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य
10. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य
11. राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण
12. पंचायती राज सम्बंधी ग्राम्यस्तरीय कार्य आदि।

ग्राम न्यायालय

12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार ग्रामीण भारत के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें तीन वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करेंगी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से अन्य अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

(Source: www.gaonconnection.com)

पाकिस्तान में 60 प्रतिशत कृषि महिलाओं पर निर्भर, लेकिन मजदूरी मिलती है कम

पाकिस्तान में 60 प्रतिशत कृषि महिलाओं पर निर्भर होने के बावजूद उन्हें मिलने वाली मजदूरी उनकी मेहनत के अनुसार नहीं है। यह बात ऑक्सफेम पाकिस्तान के निदेशक मुहम्मद काजिलबाश ने पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कही है।

डॉन में प्रकाशित रपट के अनुसार, 'वैश्विक असमानता' पर अंतर्राष्ट्रीय विकास चौरिटी ऑक्सफेम की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ऑक्सफेम पाकिस्तान के निदेशक मुहम्मद काजिलबाश ने कहा, ''हमारे देश की कृषि का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं पर निर्भर है, लेकिन फसल के मौसम के दौरान उन्हें जो मजदूरी मिलती है, वह उनके काम में लगाई गई मेहनत के अनुरूप नहीं है।''

काजिलबाश ने कहा, ''वैश्विक असमानता रिपोर्ट को लेकर विशेष रूप से पाकिस्तान को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम असमानता को बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में घरेलू कामगारों का वास्तविक खर्च और जीवनयापन का खर्च उनके द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इसकी मान्यता को लेकर कमी है।''

देश में महिलाओं को कृषि क्षेत्र में मिलने वाली मजदूरी पर उन्होंने कहा, ''खेत में काम करने के बाद जब वे घर वापस जाती हैं, तो उन्हें खाना बनाना, साफ-सफाई करना और अपने बच्चों की देखभाल जैसे कार्य भी करने होते हैं। इस प्रकार का एक अतिरिक्त बोझ उन पर सिर्फ इसलिए पड़ता है, क्योंकि वे महिला हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''घर का खर्च चलाने वाला घर से बाहर कार्य करने और पे-चेक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है और ऐसा वह सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि घर पर चीजें पहले से हल होती हैं। उसे वहां के कार्यों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है।'' मुहम्मद काजिलबाश ने कहा, ''अफसोस की बात है, घरेलू काम और घर के प्रबंधन को हमारे समाज में 'काम' नहीं माना जाता है। यहां हमें पता नहीं है कि क्रियाओं का महत्व होता है।''

'वैश्विक असमानता' पर अंतर्राष्ट्रीय विकास चैरिटी ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों की समन्वित संपत्ति से अधिक संपत्ति है, जबकि ये 4.6 अरब लोग धरती की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।''

रपट में आगे कहा गया है कि पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी होने के साथ, हमारी पुरुष प्रधान अर्थव्यवस्थाएं इस असमानता के संकट को और बढ़ा रही हैं और महिलाओं पर देखभाल के काम की एक भारी और विषम जिम्मेदारी डाल रही हैं।

(https://khabar.ndtv.com)

फार्म - 8

(नियम 8 देखिए)

1. नाम	:	कृषि चौपाल
2. प्रकाशन-स्थान	:	दिल्ली
3. प्रकाशन-अवधि	:	मासिक
4. मुद्रक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
5. प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
6. संपादक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी हों या जिनका हिस्सा हो	:	महेन्द्र सिंह बोरा, सी-355, तृतीय तल, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

मैं महेन्द्र सिंह बोरा एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक: 01.03.2020

महेन्द्र सिंह बोरा
(प्रकाशक एवं मुद्रक)

एकीकृत मत्स्य पालन

एकीकृत मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली, बत्तख, कुक्कुट और सब्जी का उत्पादन आता है। इस पद्धति से लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। एकीकृत पालन से कम स्थान में ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इसमें जीवों का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि एक का अपशिष्ट दूसरे के लिए आहार का कार्य करता है।

मत्स्य-गाय समन्वित पालन

गाय का गोबर खेतों और मछली के तालाबों दोनों के लिए एक अच्छी खाद है। तालाबों में प्रयोग किया जाने वाला गोबर परोक्ष रूप से मछली के आहार में मुख्य भूमिका निभाता है। कच्चा गोबर तुलनात्मक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तालाबों में एक साथ गाय का गोबर डालने से ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिये इसे किश्तों में तथा आवश्यकतानुसार डालना चाहिए। गाय और मछली का पालन करने से मछली के साथ दूध और मख्खन भी मिलता है। एकीकृत पालन के लिए देशी और विदेशी दोनों ही प्रकार की गायों का उपयोग किया जा सकता है। मछली-गाय समन्वित पालन में दो गायें एक हैक्टेयर जल क्षेत्र के लिए पर्याप्त है।

मत्स्य-मुर्गी समन्वित पालन

इसमें मुर्गी के मल पदार्थ का प्रयोग मछली के चारे के रूप में किया जाता है। मुर्गियों के मल में वे सभी मूल तत्व मौजूद होते हैं जो तालाबों में उपापचय चक्र के लिए जरूरी हैं। मुर्गियों के खाये गये आहार का कुछ भाग बिना पचे बाहर निकल जाता है जिसमे कई वांछित तत्व होते हैं। इस खाद के कुछ भाग को तल में रहने वाली मछलियां आहार के रूप में प्रयोग करती हैं। एक मुर्गी प्रतिदिन 100-150 ग्राम वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न करती है जिसमे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इनको पिंजडों अथवा मुर्गीघरों में रखा जाता है जो तालाब के एक किनारे में होता है। 100 वर्ग मीटर के मुर्गीघर में 800 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। अंडे देने के लिए या मांस के लिए कुक्कुट आहार हर जगह आसानी से मिल जाता है। अंडे देने वाले और मांस देने वाले दोनों कुक्कुटों का उपयोग किया जा सकता है।

मछली सह बत्तख पालन

मछली के साथ बत्तख पालन में बत्तख पानी की ऊपरी सतह पर और मछली नीचे पानी में होती है। इसमें बत्तखों का मल मछली द्वारा खाद्य के रूप में इस्तेमाल होता है। बचा हुआ मल विघटित होकर पुन: मछलियों के आहार श्रृंखला में आ जाता है। तालाब में बत्तखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है क्योंकि वे अपने पैरो को लगातार हिलाते रहते हैं। भोजन की खोज में बत्तखें पानी में डुबकी मारती रहती हैं और नितल को कुरेदती रहती हैं जिससे मिट्टी से पौष्टिक तत्व बाहर आकर पानी को उपजाऊ बनाते हैं। इस तरह बत्तखों की मौजूदगी तालाब में मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। बत्तखों के लिए तैरते हुए या स्थायी घर बनाये जा सकते हैं जिससे उन का त्यागा हुआ मल-मूत्र और गिराया हुआ दाना सीधा तालाब में जा सके जिनका उपयोग मछलियां कर सकें।

सामान्यत: 2-3 महीने के बच्चे मत्स्य तालाब में छोड़े जाते हैं। 200-300 बत्तखें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से रखी जाती हैं क्योंकि इनके द्वारा त्याग किया गया मल प्रति हैक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बत्तखों को आवश्यकतानुसार पूरक आहार देना पड़ता है। स्थानीय रूप में मुख्यत: कुक्कुट आहार एवं चावल की भूसी को 1:1 के अनुपात में 100 ग्राम प्रति बत्तख के अनुसार देते हैं। बत्तखें तालाब में उपलब्ध विभिन्न जीव-जंतुओं इत्यादि को भी खाती हैं।

बत्तखें प्रारंभ में दो वर्ष तक बढ़ती हैं और इसके बाद इनकी बढ़त बहुत कम हो जाती है। जब बत्तखों का बढ़ना तथा अंडे देने की क्षमता कम हो जाये तब उन्हें बेच देना चाहिए। एक बत्तख से एक में करीब 200 अंडे प्राप्त हो सकते हैं।

(स्रोत: भा.कृ.अ.प. शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल, नैनीताल)

खेतीबाड़ी से जुड़ी खास जानकारियां

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। भारत की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं-

1) भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51 फीसदी भाग पर कृषि, 4 फीसदी पर पर चरागाह, लगभग 21 फीसदी पर वन और 24 फीसदी बंजर और बिना उपयोग की है।

2) देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 फीसदी भाग कृषि और इससे सम्बंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलता है।

3) 2004-2005 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40 फीसदी रहा।

4) विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47 फीसदी भाग पर चावल की खेती की जाती है।

5) विश्व में गेंहू उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15 फीसदी भाग पर गेंहू की खेती की जाती है।

6) देश में गेंहू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है।

7) हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेंहू और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना गेंहू के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई।

8) भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-1968 में हुई।

9) प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ।

10) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई।

11) भारत विश्व में उर्वरक (फर्टिलाइजर) का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है।

12) पोटाशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है।

13) आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है।

14) फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है।

फसल	प्रमुख उत्पादक राज्य
चावल	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब
गेंहू	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान
ज्वार	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान
बाजरा	गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
दलहन	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश
तिलहन	मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
जौ	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब
गन्ना	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब
मूंगफली	गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
चाय	असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश
कहवा	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र
कपास	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
रबड़	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
पटसन	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश
तंबाकू	आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु
काली मिर्च	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी
हल्दी	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार
काजू	केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश

(Source: aajtak.intoday.in)

सुकन्या समृद्धि में मिलेंगे 74 लाख रुपये

14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर मां-बाप अपने बच्चे को ऐसा तोहफा देना चाहते हैं, जो बच्चे का जीवन साकार कर सके। ऐसे में अगर आप न्यूनतम निवेश पर अधिकतम रिटर्न पाना चाहते हैं तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी कई बचत योजनाएं हैं, जहां पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इनमें से अधिकांश योजनाएं डाकघरों में भी उपलब्ध हैं, जहां आप स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत ही सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि नाम की योजना चला रखी है। इसमें जो रिटर्न मिलता है, उस पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाती है।

करना होगा 1.50 लाख का निवेश

इस स्कीम में बेटी के नाम पर 15 साल तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना का निवेश करना होगा। बेटी के 18 और 21 साल होने पर आप पैसा निकाल सकेंगे। यह राशि बेटी की पढ़ाई या शादी में लाभकारी रहेगी। आइए जानते हैं इससे आपको 74 लाख रुपये कैसे मिलेंगे।

मिलेंगे 74 लाख रुपये

फिलहाल सुकन्या समृद्धि पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर मिल रही है। अगर हम यह मानें कि इस योजना की ब्याज दर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है तो फिर बेटी के 21 साल पूरे होने पर उसे 74 लाख रुपये मिलेंगे। इस राशि पर किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं देना होगा।

अधिकतम कितनी उम्र

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोल सकते हैं। निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

vfèkdre rhu [kkrs

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप एक लड़की के नाम से एक ही खाता खोल सकते हैं। जिन घरों में दो बेटियां हैं या जुड़वा बच्चे हैं, उनके माता-पिता ज्यादा से ज्यादा तीन खाते खोल सकते हैं। बेटी के 18 साल की उम्र होने पर अकाउंट में जमा 50 फीसदी राशि को आप निकाल सकते हैं। इस निकासी पर भी आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। बेटी की शादी के अवसर पर आप बाकी बची राशि भी खाते से निकालकर इसको बंद कर सकते हैं।

कहां खुलवा सकते हैं खाता

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप देश के किसी भी डाकघर या फिर बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए डाकघर और बैंक में जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद नकद, ड्राफ्ट या चेक की मदद से पैसा जमा करना होगा। इसके बाद खाता खुल जाएगा और आपको इस खाते की पासबुक भी मिल जाएगी। फिर जब भी आप खाते में पैसा जमा करें तो उसकी पासबुक में एंट्री जरूर करवा लें, ताकि आपको पता रहे कि कितना पैसा आपने जमा किया है।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

सुकन्या स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, वे हैं-

- बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र
- माता-पिता या अभिवावक का पते का प्रमाण (बिजली व फोन का बिल, आधार, एलआईसी पॉलिसी, गैस बिल)
- माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट)
- सुकन्या समृद्धि योजना में लाभार्थी एक बार ही एक बेटी का खाता खुलवा सकता है। इसमें एक वर्ष में न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में लाभार्थी अब 250 रुपये से भी खाता खुलवा सकते हैं।

खाते में रकम जमा कैसे होगी?

- खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा करायी जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो।
- इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है।

(Source: www.amarujala.com)

एक कदम विकास की ओर

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहाड़ में महिलाओं के विकास में योगदान, वर्तमान दशा व दिशा और भविष्य की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक गंभीर प्रयास के रूप में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपना योगदान सुनिश्चित करें।

दिनांक: 08 मार्च 2020
समय: प्रात: 10 बजे से 05 बजे तक
स्थान: राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर, गुजडू, विकास खंड नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

:: मुख्य अतिथि ::
श्री अरविंद पाण्डे - माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार

:: अध्यक्षता ::
महंत श्री दिलीप सिंह रावत - माननीय विधायक, लैंसडाउन

:: विशिष्ट अतिथि ::
श्रीमती शांति देवी - अध्यक्ष, जिला पंचायत पौड़ी

निवेदक: पीएन शर्मा - मुख्य संयोजक, वासुकी फाउंडेशन, दिल्ली

बीरेन्द्र कुमार, श्रीमती शोभा देवी, आचार्य अनिल मढ़वाल, प्रेम प्रकाश मढ़वाल (प्र.अ.), शिवदर्शन सिंह रावत (प्र.अ.)

छात्रों के लिए निबंध, सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिता

जोत सिंह नेगी 'उत्तरांचली' के उपन्यास 'नीचा-घर' का विमोचन

वासुकी फाउंडेशन

डी-248/10, ऑफिस नं. 312, बालाजी कॉम्पलेक्स,
लक्ष्मी नगर, नियर मेट्रो गेट नं. 1, दिल्ली-110092
फोन: +91-9990070619, 9818574284, 011-22040688
ईमेल: vasukifoundation2020@gmail.com

With Best Compliments From

G. S. RAWAT
B.Sc. Engg. DCE, MIE
Chairman & Managing Director

HYTHRO ENGINEERS PVT. LTD
हाइथ्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.

SUPREME ADVERTISING PVT. LTD.
सुप्रीम एडवरटाइजिंग प्रा. लि.

HANCRAFT EXPO DESIGNS PVT. LTD.
हेंनक्राफ्ट एक्सपो डिजाइंस प्रा. लि.

302-303, Bhikaji Cama Bhawan
11, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Phone: 011-26186038, 26180238
hythroengineers@airtelmail.in | supremeadvertising@airtelmail.in

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953

गेल (इंडिया) लिमिटेड

लाएं
ताज़गी भरा बदलाव

- हरित ईंधन प्राकृतिक गैस अपनाएं
- सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें
- प्रदूषण-मुक्त वातावरण बनाएं

Hawa badlo

#HawaBadlo

www.changetheair.org

#HawaBadlo